

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान वस्त मंत्रालय, भारत सरकार सिडको इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स रंगरेट, श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर-191132 National Institute of Fashion Technology Ministry of Textiles, Govt. of India SIDCO Electronic Complex Rangreth, Srinagar-191132 J&K

## 16634(1)/निफ़्ट/श्रीनगर/लेखा / किराए पर वाहन /2018/827

#### दिनांक: 26-07-2021

## <u>ई-निविदा सूचना</u>

राष्ट्रीय फ़ैशन प्रौद्योगिकी संस्थान(निफ्ट) श्रीनगर (इसमें इसके बाद "संस्थान" के रूप में संदर्भित, 1986 में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित, संसद के एक अधिनियम अर्थात निफ्ट अधिनियम, 2006 के तहत सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया), एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। संस्थान फैशन प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में उच्चतम मानकों के अनुसंधान और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने में प्रवृत्त है। निफ़्ट श्रनगर वर्तमान में सिडको, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, रंगरेट, श्रीनगर में अपने पारवहन परिसर से कार्य कर रहा है और इसके निकट भविष्य में ओमपोरा, बडगाम में स्थायी परिसर में स्थानांतरित होने की संभावना है। निदेशक, निफ्ट, श्रीनगर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से "दो बोली प्रणाली" के अंतर्गत अपने छात्रों और अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए अलग-अलग बनावट/मॉडल की बसों और कारों को मासिक किराया शुल्क पर एक वर्ष की अवधि के लिए, जिसे वार्षिक आधार ट्रांसपोर्टर/फर्म/कंपनी/एजेंसी के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन, दो साल की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, एक भली-भाँति स्थापित, प्रतिष्ठित और अनुभवी ट्रांसपोर्टर / फर्म/कंपनी/एजेंसी के चयन के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले https://eprocure.gov.in पर उपलब्ध निविदा दस्तावेज में निहित विवरणों को देख लेना चाहिए।

## निविदा प्रक्रिया के लिए समय-सारणी:

ई-निविदा अधिसूचना  की तिथि	= 26-07-2021
ऑनलाइन बोली प्राप्त करने की अंतिम तिथि	= 16-08-2021 (शाम 4 बजे तक)
तकनीकी बोली खुलने की तिथि	= 17-08-2021 ( दोपहर  3 बजे तक)
वित्तीय/मूल्य बोली खुलने की तिथि	= योग्य बोलीदाताओं को अलग से सूचित किया जाएगा

या

निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बयाना राशि जमा (ईएमडी) की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, बोलीदाताओं को "बोली सुरक्षित घोषणा" पर हस्ताक्षर करना होगा और इसे तकनीकी बोली के साथ संलग्न करना होगा।

बोलीदाताओं को तकनीकी बोली में सभी सुसंगत दस्तावेज (स्व-सत्यापित) सॉफ्टप्रति और हार्डप्रति दोनों रूप में संलग्न करने होंगे। तकनीकी बोली और वित्तीय / मूल्य बोली की हार्ड प्रतियां बोलीदाताओं द्वारा निदेशक, निफ्ट सिडको इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स रंगरेट श्रीनगर के कार्यालय में 16-08-

2021 (शाम 05:30 बजे) तक या उससे पहले जमा करनी होंगी। संस्थान की वेबसाइट www.nift.ac.in/srinagar पर उपलब्ध विस्तृत निविदा दस्तावेज में उल्लिखित दस्तावेजों द्वारा बोली समर्थित नहीं पाए जाने पर अस्वीकार की जा सकती है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए बोलीदाता संस्थान के निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं या उन्हें अपने प्रश्न ई-मेल कर सकते हैं।

श्री निसार अहमद भट परामर्शदाता, निफ़्ट श्रीनगर ई-मेल: <u>consultant.srinagar@nift.ac.in</u> श्री आसिफ़ अर्शिद गनाई प्रभारी परिवहन ई-मेल: <u>estates.srinagar@nift.ac.in</u> दूरभाषा: 0194-2300995

> निदेशक निफ़्ट श्रीनगर

## निविदा दस्तावेज़

निफ्ट, रंगरेट, श्रीनगर में अपने छात्रों और अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए अलग-अलग मेक/मॉडल की बस और कारों को मासिक किराया शल्क पर एक वर्ष की अवधि के लिए जिसे वार्षिक आधार पर टांसपोर्टर/फर्म/कंपनी/एजेंसी के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन दो साल की अवधि के लिए आगे बढाया जा सकता है, "दो बोली प्रणाली" के अंतर्गत एक भली-भाँति स्थापित, प्रतिष्ठित और अनुभवी टांसपोर्टर /फर्म/कंपनी/एजेंसी के चयन के लिए निविदाएँ आमंत्रित करता है।

## निविदा का कार्य-क्षेत्र:

निफ्ट रंगरेट श्रीनगर के विद्यार्थियों और अधिकारियों द्वारा मासिक किराया शल्क पर उपयोग के लिए विभिन्न मेक/मॉडल की बस और कारों को किराए पर लेना।

<u>निविदा प्रक्रिया के लिए समय-सारणी</u>	
निविदा अधिसूचना  की तिथि	= 26-07-2021
ऑनलाइन बोली प्राप्त करने की अंतिम तिथि	= 16-08-2021(शाम <b>4</b> बजे तक)
तकनीकी बोली खुलने की तिथि	= 17-08-2021(दोपहर <b>3</b> बजे तक <b>)</b>
वित्तीय/कीमत बोली खुलने की तिथि	= योग्य बोलीदाताओं को अलग से सूचित किया जाएगा

बोलीदाताओं को तकनीकी बोली में सभी सुसंगत दस्तावेज (स्व-सत्यापित) सॉफ्टप्रति और हार्डप्रति दोनों रूप में संलग्न करने होंगे। तकनीकी बोली और वित्तीय / मूल्य बोली की हार्ड प्रतियां बोलीदाताओं द्वारा निदेशक, निफ्ट सिडको इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स रंगरेट श्रीनगर के कार्यालय में 16-08-2021 (शाम 05:30 बजे) तक या उससे पहले जमा करनी होंगी। संस्थान की वेबसाइट www.nift.ac.in/srinagar पर उपलब्ध विस्तृत निविदा दस्तावेज में उल्लिखित दस्तावेजों द्वारा बोली समर्थित नहीं पाए जाने पर अस्वीकार की जा सकती है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए बोलीदाता संस्थान के निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं या उन्हें अपने प्रश्न ई-मेल कर सकते हैं।

> श्री निसार अहमद भट परामर्शदाता, निफ़्ट श्रीनगर ई-मेल: consultant.srinagar@nift.ac.in या श्री आसिफ़ अर्शिद गनाई प्रभारी परिवहन ई-मेल: estates.srinagar@nift.ac.in दूरभाष: 0194-2300995

## आवश्यकता

निफ्ट श्रीनगर/बडगाम जिलों के भीतर चलने के लिए अनिवार्य रूप से 01 गैर-एसी बस (32+डी सीटर) (लगभग 02 महीने की शीतकालीन छट्टी को छोड़कर) और श्रीनगर/बडगाम के जिलों के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के भीतर चलने के लिए मासिक शुल्क पर 02 एसी-कारें किराए पर लेना चाहता है । सफल बोलीदाता को "शुरुआत में एक वर्ष की अवधि के लिए मासिक शुल्क पर बस और कारों को किराए पर लेने के लिए संविदा के लिए सुचीबद्ध" करने के लिए विचार किया जाना है।

## बोलीदाताओं को अनुदेश:

- 1. इच्छुक बोलीदाताओं को पूरे निविदा दस्तावेज के निबंधनों और शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। यदि वे स्वयं को योग्य समझते हैं और आवश्यक सभी दस्तावेज उनके पास हैं. तो ही उन्हें अपनी बोलियां जमा करनी चाहिए।
- 2. बोली जमा करने की तारीख से पहले किसी भी समय संस्थान या तो अपनी पहल पर या संभावित बोलीदाता द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के जवाब में एक शुद्धिपत्र जारी करके निविदा दस्तावेज में संशोधन कर सकता है। शुद्धिपत्र को

प्रमुख रूप से संस्थान की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा।

- बोली केवल आधिकारिक ई-निविदा फॉर्म में जमा की जाएगी। यदि किसी अन्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- इच्छुक बोलीदाताओं को केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा तकनीकी और वित्तीय/मूल्य बोली के समर्थन में उनके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सभी सुसंगत प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों की स्कैन प्रतियों के साथ अपनी बोलियां https://eprocure.gov.in पर "निफ्ट, श्रीनगर में बस और कार किराए पर लेने के लिए निविदा" 26-07-2021 से 16-08-2021 तक, शाम 04:00 बजे तक जमा करनी होंगी।
- 5. बोली केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा की जाएगी और किसी अन्य माध्यम से जमा की गई बोलियां अमान्य होंगी।
- 6. बोलीदाता का नाम और पता प्रदान किए गए स्थान में स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए और निविदा के किसी भी हिस्से में जब तक कि बोलीदाता द्वारा उसकी मुहर और पूर्ण हस्ताक्षर के तहत विधिवत प्रमाणित न हो कोई सुधार, अधिलेखन, अंतर्वेशन, प्रक्षेप आदि की अनुमति नहीं है, । निविदा पूरी तरह से दिए गए अनुदेशों के अनुसार भरकर जमा की जानी है। अन्यथा, एकतरफा रूप से बिना कोई कारण बताए या कोई स्पष्टीकरण दिए बिना बोली को अस्वीकार कर दिया जा सकता है।
- 7. यदि दस्तावेज पूरी तरह से नहीं भरे गए हैं या बोली में उल्लिखित कोई जानकारी और डेटा पूरी तरह से दर्ज नहीं किया गया है या अशुद्ध/गलत/झूठी/हेरफेर की गई जानकारी प्रस्तुत की गई है या बोली मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाली कोई भौतिक जानकारी दबाई/छिपाई जाती है तो बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ तकनीकी बोली और वित्तीय / मूल्य बोली दोनों की हार्डप्रति मूल रूप से निदेशक, निफ्ट श्रीनगर के कार्यालय में 16-08-2021 को शाम 05:30 बजे तक या उससे पहले जमा करनी होगी।
- तकनीकी बोलियां 17-08-2021 (दोपहर 03:00 बजे) को उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएंगी जो स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उपस्थित होना चाहते हैं।
- 10. कोई बयाना राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, बोलीदाता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित बोली सुरक्षा घोषणा तकनीकी बोली (सॉफ्ट और हार्डप्रति) के साथ संलग्न की जानी है। बोली सुरक्षित घोषणा के बिना प्राप्त प्रस्तावों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 11. अंतिम तिथि और समय अर्थात 16-08-2021 (शाम 05:30 बजे) के बाद प्राप्त बोलियों पर किसी भी कारण से विचार नहीं किया जाएगा।
- 12. संस्थान के पास बिना कोई कारण बताए किसी या सभी प्रस्तावों को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 13. यदि बोलीदाता अपनी बोली की वैधता अवधि के भीतर किसी भी तरह से बोली को वापस लेता है, संशोधित करता है, खराब करता है, या उसका अवमूल्यन करता है, तो बोली सुरक्षित घोषणा लागू की जाएगी।
- 14. यदि एल1 एक से अधिक है, तो सबसे कम बोली लगाने वाले के चयन के लिए संस्थान के निदेशक का निर्णय अंतिम और सभी प्रभावित बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा। इस संबंध में संस्थान द्वारा न तो किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी और न ही आगे संचार पर विचार किया जाएगा।
- 15. इस निविदा से संबंधित सभी मामलों को जिस समय तक यह लागू है मूल और प्रक्रियात्मक दोनों ही भारतीय कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, और ये श्रीनगर/बडगाम (जम्मू और कश्मीर) में कानून के न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।
- 16. बोलीदाताओं को वित्तीय/मूल्य बोली में अंकों और शब्दों दोनों में दर उद्धृत करनी होगी। अधूरी बोलियों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। बोली पत्रों में सभी सुधारों और परिवर्तनों को बोलीदाता को अपनी मुहर और पूर्ण हस्ताक्षर से सत्यापित करना होगा। मिटाने और अधिलेखन की कोई अनुमति नहीं है, अन्यथा बोली अधूरी मानी

जाएगी और सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएगी। सफेद सुधार द्रव का उपयोग पूरी तरह से वर्जित है

- 17. यदि कोई बोलीदाता शून्य दर उद्धृत करता है, तो बोली पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे अनुत्तरदायी माना जाएगा।
- 18. जीएसटी सहित सभी सांविधिक करों और शुल्कों और किसी भी अन्य करों और शुल्कों को बोलीदाता को वहन करना होगा और इस संबंध में किसी भी समय संस्थान को कोई दायित्व नहीं दिया जाएगा। उद्धृत दर दृढ़ होगी और प्रस्ताव की वैधता अवधि में दर या निबंधन और शर्तों से किसी भी विचलन से प्रदर्शन सुरक्षा जब्त होगी, बोली सुरक्षित करने की घोषणा लागू होगी और संस्थान को बोली लगाने वाले के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार होगा।
- 19. सभी बोलीदाताओं को अपनी बोली दो लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी (1) तकनीकी बोली और (2) वित्तीय/मूल्य बोली जो कि निम्न है।

क) तकनीकी बोली में संबंधित बोलीदाता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, लेकिन दरों को उद्धृत किए बिना, सभी सहायक दस्तावेज शामिल होंगे।

बी) वित्तीय/मूल्य बोली में संबंधित बोलीदाता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उद्धृत दर का विवरण होगा।

ग) तकनीकी बोली और वित्तीय/मूल्य बोली के लिफाफों को अलग से सील किया जाएगा। तकनीकी बोली वाले लिफाफे पर "बस और कारों को किराए पर लेने के लिए निविदा" - तकनीकी बोली" के रूप में उपरिलिखित किया जाएगा, इसी तरह, वित्तीय / मूल्य बोली वाले लिफाफे को "बस और कारों को किराए पर लेने के लिए निविदा - वित्तीय / मूल्य बोली" के रूप में उपरिलिखित किया जाएगा। इन दोनों लिफाफों को तीसरे लिफाफे में रखा जाएगा और "बस और कारों को किराए पर लेने के लिए निविदा" के रूप में उपरिलिखित किया जाएगा। यदि बाहरी लिफाफा/आवरण को सील नहीं किया गया और ठीक से चिह्नित नहीं किया गया, तो संस्थान इसके गुम होने, समय से पहले खुलने, देर से खुलने आदि के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

- 20. निविदा खुलने की तिथि को केवल तकनीकी बोली खोली जाएगी। जबकि वित्तीय/मूल्य बोलियां केवल उन्हीं बोलीदाताओं की खोली जाएंगी जिनकी तकनीकी बोलियां सभी प्रकार से पूर्ण और स्वीकार्य पाई जाती हैं। वित्तीय/मूल्य बोलियों को खोलने की तारीख और समय तकनीकी बोलियों को खोलने के बाद अलग से अधिसूचित किया जाएगा।
- 21. "एकल निविदा प्रणाली" माध्यम में प्राप्त प्रस्ताव, यानी तकनीकी बोली और वित्तीय / मूल्य बोली दोनों एक ही लिफ़ाफ़े में रखे जाने पर, अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- 22. बोलीदाता इस निविदा से संबंधित किसी भी प्रश्न, स्पष्टीकरण, शुद्धिपत्र आदि के लिए संस्थान की वेबसाइट को लगातार देखते रहें।
- 23. निविदा दस्तावेज से संबंधित अभ्यावेदन, यदि कोई हो, तकनीकी बोली खोलने की तिथि और समय से पहले संस्थान को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- 24. संस्थान की बोली खोलने वाली समिति द्वारा योग्य तकनीकी बोलियों की घोषणा के बाद, वित्तीय / मूल्य बोलियों में उद्धृत दरें चयन मानदंड यानी न्यूनतम उद्धृत मासिक दरें होंगी। बोलीदाता को सभी लागू करों और शुल्कों सहित दरों को उद्धृत करना होगा।
- 25. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली, बोली खुलने की तारीख से 75 दिनों के लिए वैध रहेगी।
- 26. बोलीदाताओं को सेवाओं की सार्वजनिक खरीद के लिए सत्यनिष्ठा संहिता का पालन करना होगा। इस संहिता के किसी भी उल्लंघन के मामले में बोलीदाता दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि उसकी बोली/अनुबंध को रद्द करना, उसे प्रतिबंधित करना/कालीसूची में डालना या उसके खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में कोई कार्रवाई करना आदि।
- 27. बोलीदाता का अन्य बोलीदाताओं के साथ हितों का टकराव न हो। हितों का टकराव संस्था के हितों की हानि के लिए प्रतिस्पर्धी विरोधी दरों को उत्पन्न कर सकता है।जो बोलीदाता हितों का टकराव करता पाया गया उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- 28. निविदा दस्तावेज के निबंधनों और शर्तों की व्याख्या के संबंध में संस्थान का निर्णय अंतिम और सभी संबंधितों के लिए

बाध्यकारी होगा।

- 29. बोली प्रस्तुत करने वाले बोलीदाताओं ने निविदा से जुड़ी सभी शर्तों को पढ़ और स्वीकार कर लिया है, ऐसा माना जाएगा। बोली (बोलियों) की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में किसी भी मौखिक या लिखित पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 30. टेलेक्स, केबल और फैक्स के माध्यम से प्राप्त बोलियों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और खारिज कर दिया जाएगा।
- 31. अंत:निर्मित शर्तों वाली बोलियों को अनुत्तरदायी माना जाएगा।
- 32. निविदा दस्तावेज से कोई कागज/दस्तावेज अलग नहीं किया जाएगा।
- 33. बोलीदाता को अपनी बोली जमा करने के बाद, अपनी बोली को वापस लेने/बदलने/संशोधित करने की अनुमति तब तक

है, जब तक कि ऐसी निकासी/परिवर्तन/संशोधन विधिवत मुहरबंद और मूल बोली की तरह चिन्हित हों और बोली प्राप्त होने की तारीख और समय तक संस्थान को प्राप्त हो जाए। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त किसी भी वापसी/संशोधन/आशोधन पर विचार नहीं किया जाएगा।

- 34. बोली जमा करने की समय सीमा और बोली वैधता की अवधि की समाप्ति के बीच के अंतराल में कोई बोली वापस नहीं ली जाएगी। इस अवधि में बोली वापस लेने के परिणामस्वरूप बोलीदाता की "बोली सुरक्षित घोषणा" लागू होगी और अन्य प्रतिबंध लगाए जाएंगे।
- 35. सफल बोलीदाता को कुछ शर्तों, जो इसमें इसके बाद और संविदा के निबंधनों और शर्तों में निर्धारित हैं, के तहत पूर्वोक्त सेवा प्रदान करने के लिए संविदा दी जाएगी।
- 36. यदि बोलीदाता एक स्वामित्व वाली फर्म है तो बोलीदाता द्वारा स्वयं और साझेदारी फर्म के मामले में एक साझेदार द्वारा बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। हालाँकि, एक साझेदारी फर्म के मामले में, यहाँ सभी साझेदारों से इस आशय का एक प्राधिकरण-पत्र होना चाहिए कि एक साझेदार के रूप में बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को सभी साझेदारों की ओर से बोली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- 37. यदि बोलीदाता एक कंपनी है, तो सक्षम प्राधिकारी/बोर्ड के संकल्प से एक वैध प्राधिकरण होना चाहिए, जो व्यक्ति को कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने और बोली दाखिल करने के लिए प्राधिकृत करता है।
- 38. बिना प्राधिकरण के और प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर न होने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।
- 39. बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में परिवर्धन/परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। इस तरह के परिवर्धन और परिवर्तन बोलीदाताओं के अपने जोखिम पर होंगे और बोली को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

## <u>योग्यता मानदंड:</u>

- 1. बोलीदाता को ठेके पर मोटर वाहन उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त सरकारी विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
- बोलीदाता के पास सरकारी/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त निकाय/किसी भी प्रतिष्ठित संगठन आदि को बसें और कार उपलब्ध कराने के लिए कम से कम पिछले दो लगातार वर्षों का अनुभव होना चाहिए। निविदा दस्तावेज में दिए गए प्रारूप में दी गई जानकारी तकनीकी बोली से जुड़ी होनी चाहिए।
- पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बोलीदाता का न्यूनतम वार्षिक आवर्त/टर्नओवर 5 लाख होना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित तुलन-पत्र की प्रतियां तकनीकी बोली के साथ संलग्न करनी होंगी।
- बोली लगाने वाले को पिछले दो वर्षों (2018-19 और 2019-20) के आयकर रिटर्न की चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत सत्यापित प्रतियां तकनीकी बोली के साथ लगानी होंगी।
- बोलीदाता को इस आशय का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निविदा दस्तावेज में दिए गए प्रारूप में उसे किसी भी केंद्र/राज्य सरकार के किसी विभागों/कार्यालयों/स्वायत्त निकायों या किसी गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कभी भी प्रतिबंधित/काली सूची में नहीं डाला गया है। ।

6. 6. बोलीदाता को तकनीकी बोली के साथ निविदा दस्तावेज में दिए गए प्रारूप में "बोली सुरक्षित घोषणा" संलग्न करनी होगी।

7. बोलीदाता को जीएसटी व्यवस्था और आयकर विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए और तकनीकी बोली में जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति और पैन कार्ड की एक प्रति संलग्न करनी होगी।

8. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और स्टार्ट-अप के मामले में पूर्व आवर्त/टर्नओवर और अनुभव की शर्त में छूट दी गई है, जो संस्थान द्वारा निविदा दस्तावेज में निर्धारित अन्य नियमों और शर्तों को पूरा करने के अधीन है।

9. दिन-प्रतिदिन की आवश्यकता के मामले में बेहतर समन्वय, उचित पर्यवेक्षण, उचित पहुंच के लिए बोलीदाता के पास श्रीनगर/बडगाम में एक कार्यालय होना चाहिए। यदि बोलीदाता का श्रीनगर/बडगाम में कोई कार्यालय नहीं है, तो बोलीदाता को एक वचन देना होगा कि कार्यालय संविदा के आवंटन के एक महीने के भीतर श्रीनगर/बडगाम में स्थापित किया जाएगा।

# <u>बोली के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़:</u>

बोलीदाता को तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होंगी। ऐसे बोली जो इनमें से किस भी दस्तावेज के बिना होगी, अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी होगी।

- क) पंजीकरण के वैध प्रमाण-पत्र की प्रति।
- ख) पैन कार्ड की प्रति।
- ग) पिछले दो वर्षों का आयकर रिटर्न (आ. व. 2018-19 और 2019-20)।
- घ) जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र।
- ङ) ईपीएफ पंजीकरण प्रमाणपत्र / कोड संख्या, यदि आवश्यक हो।
- च) ईएसआईसी पंजीकरण प्रमाणपत्र/कोड संख्या, यदि आवश्यक हो।
- छ) अन्य सांविधिकपंजीकरण/लाइसेंस, यदि कोई हो।

ज) पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2018-19, 2019-20 और 202-21 के लिए सकल आवर्त/टर्नओवर के साथ-साथ लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लाभ और हानि खातों की प्रतियां।

झ) निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने वाली फर्म की ओर से बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पक्ष में प्राधिकरण पत्र/संकल्प। ञ)बोली सुरक्षित घोषणा।

- ट) ट्रांसपोर्टेर/फर्म/एजेंसी/कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और शाखा कार्यालय का पता प्रमाण।
- ठ) व्यक्तिगत आवेदक/बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड।

थ) अन्य दस्तावेज जिन्हें आवश्यक समझा जा सकता है और जैसा कि बोली दस्तावेज के किसी अन्य प्रावधान के तहत आवश्यक है और यहां ऊपर उल्लिखित नहीं है।

## <u>संविदा की सामान्य शर्तें:</u>

- 1. परिणामी संविदा की व्याख्या भारतीय कानूनों के तहत की जाएगी।
- 2. संविदा से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के मामले में, इसे संबंधित पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से हल किया जाएगा, जो विफल होने पर मध्यस्थता द्वारा एकमात्र मध्यस्थ जो निदेशक, निफ्ट श्रीनगर द्वारा श्रीनगर में भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए नियम के प्रावधानों के तहत नियुक्त किया जाएगा, के माध्यम से सुलझाया जाएगा । इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ को कोई अंतरिम निर्णय पारित करने का अधिकार नहीं होगा। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी। मध्यस्थता का स्थान श्रीनगर/बडगाम (जम्मू-कश्मीर) में होगा।
- सफल बोली लगाने वाले को संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने के 60 दिन बाद डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट/बैंक गारंटी के रूप में निदेशक, निफ्ट, श्रीनगर के नाम पर संविदा मूल्य के 3% की प्रदर्शन सुरक्षा जमा करनी होगी।
- 4. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाती है, उसे दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित संविदा तैयार करने के लिए अपनी लागत पर ₹100/- का गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर जमा करना होगा। इस निविदा सूचना/दस्तावेज के निबंधन और शर्तें संविदा का अभिन्न अंग होंगे और संविदा के संतोषजनक समापन तक बाध्यकारी रहेंगे। मूल समझौता संस्थान के पास रहेगा, जबकि ट्रांसपोर्टर/फर्म/कंपनी/एजेंसी यदि चाहें तो उन्हें उसकी एक फोटोकॉपी दी जा सकती है, ।

- संविदा के उल्लंघन के लिए संविदा में निहित दंडात्मक प्रावधानों के बावजूद, ठेकेदार ऐसे किसी भी प्रतिबंध के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जब तक कि संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में ठेकेदार की विफलता अप्रत्याशित घटना खंड के तहत हुई घटना का परिणाम है।
- सफल बोलीदाता केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में किसी भी सांविधिक और संवैधानिक प्राधिकरण के सभी कानूनों, विनियमों, नियमों और निर्देशों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 7. संविदा की अवधि प्रारंभ में संविदा पर हस्ताक्षर करने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी। पहले तीन महीने परिवीक्षा अवधि होने के कारण और परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक रूप से पूरा होने पर, संविदा स्वचालित रूप से शेष वर्ष यानी नौ महीने के लिए बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा, संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर संविदा को सालाना (एक बार में एक वर्ष) दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में संविदा को तीन साल से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा।
- सफल बोलीदाता सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य सक्षम मंचों द्वारा समय-समय पर लागू होने वाले सभी करों, शुल्कों और अन्य कानूनी भुगतानों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 9. बोलीदाता इस संविदा और संस्थान के निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।
- 10. सफल बोलीदाता 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी कर्मचारी को नियोजित नहीं करेगा।
- 11. सभी कर्मी अनिवार्य रूप से अपने पहचान पत्र ( जो सफल बोलीदाता द्वारा उन्हें अपने खर्च पर प्रदान किया जाएगा) अपने पास रखेंगे और मांगे जाने पर , उन्हें संस्थान के सुरक्षा कर्मियों और अन्य अधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे।
- 12. सफल बोलीदाता अपने कर्मचारियों द्वारा अनुशासन और अच्छे आचरण के सख्त पालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
- 13. सफल बोलीदाता ऐसे किसी भी कार्यकर्ता को हटाने के लिए बाध्य होगा और उसे संस्थान परिसर में प्रवेश करने से मना कर देगा, जिसे संस्थान; संस्थान परिसर के भीतर प्रशासनिक या किसी अन्य कारणों से जारी रखने के लिए उपयुक्त नहीं समझता है।
- 14. सफल बोलीदाता के पास अपने कर्मियों की नियुक्ति, बर्खास्तगी, निलंबन, समाप्ति, छंटनी, पदच्युति, सेवामुक्ति आदि के संबंध में और उनके खिलाफ सभी अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के संबंध में पूर्ण अधिकार होगा। सफल बोलीदाता अपने कर्मियों के साथ स्वामी और सेवक संबंध बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा और संस्थान को उपरोक्त सभी मामलों से कोई सरोकार नहीं होगा।
- 15. सफल बोलीदाता अपने कर्मियों से संबंधित किसी भी विवाद या अन्य मामलों के संबंध में पूरी तरह से उत्तरदायी होगा, जो किसी भी मंच या अदालत में शुरू किए गए हैं और आगे अन्य वैधानिक दायित्वों के अलावा उस समय लागू किसी भी श्रम कानून के प्रावधानों के आधार पर किसी भी अदालत के निर्णयों, सभी देनदारियों सहित , से अपने कर्मचारियों के साथ अपने संबंधों के कारण उत्पन्न होने वाली सभी देनदारियों को पूरा करने और निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी होगा। ।
- 16. सफल बोलीदाता संस्थान की संपत्ति को हुए नुकसान, यदि कोई हो, जो उसके कर्मचारियों की ओर से किसी गैर-जिम्मेदार कार्रवाई के कारण, चाहे वह जानबूझकर या अन्यथा हो, की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 17. सफल बोलीदाता सभी श्रम कानूनों, कर्मचारियों के मुआवजे, न्यूनतम मजदूरी आदि सहित समय-समय पर संस्थान के अनुदेशों के अलावा सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों और अन्य प्राधिकरणों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 18. सफल बोलीदाता उन वित्तीय शर्तों में नुकसान को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो समय-समय पर उसकी ओर से किसी भी चूक के कारण या मजदूरी के संबंध में श्रमिकों की बकाया राशि, न्यायालयी अधिनिर्णय, मुआवजा जो सफल बोलीदाता की विफलता के कारण संस्थान द्वारा भुगतान/वहन किया जाता है; सहित वैधानिक देनदारियों से उत्पन्न होती हैं। सफल बोलीदाता इस संबंध में संस्थान द्वारा जारी पत्र की प्राप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर संस्थान को ऐसे सभी बकाया का भुगतान करेगा ऐसा न होने की स्थिति में सफल बोलीदाता की निष्पादन प्रतिभूति से उसकी वसूली की जाएगी।
- 19. संस्थान, सभी मामलों, दावों, देनदारियों और कानूनी परिणामों में, जो संविदा समझौते के साथ-साथ सरकारी प्राधिकारियों/अदालतों/फोरम आदि के सांविधिक प्रावधानों, नियमों और विनियमों, आदेशों, निर्देशों आदि के अनुपालन से संबंधित है, में पूरी तरह से प्रतिरक्षित होगा और क्षतिपूर्ति के लिए मानित होगा। यदि संस्थान को सफल बोलीदाता की ओर से

या उसके अवैध कार्यों के लिए कोई दायित्व वहन करने के लिए रखा जाता है, तो संस्थान को सफल बोलीदाता से सभी देय राशियों यदि वे वित्तीय शर्तों में हैं और अन्य मामलों में उचित तरीके से, जैसा कि वह उचित समझे, जिसमें कानूनी सहारा अपनाना भी शामिल है, को वसूली करने का अधिकार होगा।

- 20. सफल बोलीदाता सुरक्षा/सुरक्षा मुद्दों और संस्थान के अनुशासन से संबंधित सुरक्षा अधिकारियों के अन्य आदेशों/निर्देशों का पालन करने के अलावा संस्थान द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों/निर्देशों का पालन करेगा।
- 21. सफल बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि वह और उसके कर्मचारी संस्थान के शांतिपूर्ण और अनुकूल वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें।
- 22. सफल बोलीदाता अपनी ओर से चूक और लापरवाही के मामलों में या संस्थान के विवेक पर इसके बाद प्रदान की गई शिकायतों के लिए दंडित या जुर्माना लगाए जाने के लिए ज़िम्मेदार होगा। इस तरह का जुर्माना शिकायत की प्रकृति के अनुसार लगाया जाएगा। ऐसे मामले में पहला जुर्माना ₹5000/-, दूसरी बार ₹10000/-, और तीसरी बार ₹20000/- या संस्थान द्वारा जो दंड उचित समझा जाए। हालांकि, यदि समान प्रकृति की शिकायतें बनी रहती हैं, तो संस्थान बिना कोई और नोटिस दिए संविदा को तुरंत समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- 23. कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को बिना कोई कारण बताए 30 दिन का नोटिस देकर संविदा को समाप्त करने में सक्षम होगा।
- 24. सफल बोलीदाता संस्थान की लिखित सहमति के बिना संविदा या उसके किसी भाग या उस पर या उसके तहत कोई लाभ या ब्याज नहीं सौंपेगा। संविदा में शामिल संपूर्ण प्रभार सफल बोलीदाता या उसके अधिकृत सक्षम प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) द्वारा निष्पादित किया जाएगा। सफल बोलीदाता अपने कार्यबल के कृत्यों, चूकों और उपेक्षाओं के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और ये कृत्य सफल बोलीदाता के माने जाएंगे।
- 25. यदि किसी भी समय, यह पता चलता है कि सफल बोलीदाता द्वारा संविदा को उपट्टे पर दिया गया है या किसी अन्य संस्था को सौंपा गया है, तो संस्थान सफल बोलीदाता को कोई समय दिए बिना संविदा को तुरंत समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- 26. संविदा बनाने वाले कई दस्तावेजों को एक दूसरे के लिए पारस्परिक रूप से व्याख्यात्मक रूप से लिया जाना है और किसी भी अस्पष्टता या विसंगतियों के मामले में, यदि कोई हो, उनकी व्याख्याओं को संस्थान द्वारा अपने सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से निर्देशों के साथ सफल बोलीदाता को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा और वही अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा और किसी भी न्यायालय में प्रश्न के लिए खुला नहीं होगा।
- 27. कार्यादेश जारी होने की तिथि से आवश्यकतानुसार वाहन चाहिए होंगे। संविदा पर लिए गए वाहनों का उपयोग निफ्ट, श्रीनगर के अधिकारियों और छात्रों द्वारा किया जाना है।
- 28. दैनिक/मासिक किलोमीटर चलने की जानकारी और बिलों के भुगतान के लिए निफ्ट संस्थान से संस्थान तक के किलोमीटर की गणना/विचार करेगा; गैरेज, ठेकेदार के कार्यालय/पार्किंग स्थल से नहीं।
- 29. संस्थान द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले प्रोफार्मा के अनुसार ठेकेदार द्वारा लॉगबुक का रखरखाव किया जाना है।
- 30. उक्त लॉगबुक या ड्यूटी पर्ची के किसी भी माध्यम से हानि/क्षति के मामले में; भुगतान के संबंध में संस्थान के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय पूर्ण एवं अंतिम होगा।
- 31. ड्यूटी के दौरान चालक को वाहन के उचित और अद्यतित दस्तावेज और वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखना होगा।
- 32. समय की पाबंदी, सफाई, आज्ञाकारिता, मुस्तैदी, व्यवहार आदि के प्रति संस्थान द्वारा कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मांग करने पर अशिष्ट और लापरवाह चालक को बदलना होगा।
- 33. नियमों, विनियमों, दुर्घटनाओं या किसी अन्य अप्रत्याशित घटनाओं / घटनाओं के अतिलंघन से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दावों के भुगतान सहित सभी कार्यों के लिए ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। यदि कोई वाहन रखरखाव/मरम्मत/ब्रेकडाउन के लिए वापस ले लिया जाता है, तो उसी या उच्च बनावट/मॉडल का एक स्थानापन्न वाहन तत्काल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आपात स्थिति अर्थात मार्ग में खराबी की स्थिति में, ठेकेदार को व्यक्तियों और सामग्रियों के अनुरक्षण के लिए एक वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी, ऐसा न करने पर ठेकेदार के जोखिम और लागत पर किसी अन्य स्रोत/स्रोतों से वाहन किराए पर लिया जाएगा।

- 34. संस्थान का सक्षम प्राधिकारी जिसे वाहन अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करेगा, यदि उसे लगता है कि वाहन लेने योग्य नहीं है तो उसे वाहन वापस करने का अधिकार है और उस दिन के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 35. ठेकेदार के पास एक पर्यवेक्षक के साथ श्रीनगर/बडगाम में एक कार्यालय होना चाहिए जो चौबीसों घंटे (24X7) अपने फिक्स्ड / मोबाइल टेलीफोन पर उपलब्ध होगा ताकि सेवाओं के लिए कॉल का जवाब देकर समन्वय आसान किया जा सके। बोली में मोबाइल/टेलीफोन नंबर निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। आपात स्थिति में सभी आधिकारिक कैब/वाहनों की बुर्किंग ईमेल/या टेलीफोन कॉल के माध्यम से की जाएगी।
- 36. "मोटर वाहन अधिनियम" और आईपीसी या किसी अन्य कानून की प्रासंगिक धाराओं के तहत किराए के वाहन की दुर्घटना से उत्पन्न होने वाली देयता पूरी तरह से ठेकेदार पर होगी। किराए के वाहन को ठेकेदार की जिम्मेदारी माना जाएगा और चालकों के लिए, ठेकेदार प्रधान नियोक्ता होगा। किराए पर लेने वाले प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं है और कानून के प्रावधान के तहत किसी भी संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
- 37. विभिन्न श्रम कानूनों या विनियमों के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार चालकों की नियुक्ति और रोजगार और उन्हें मजदूरी का भुगतान ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी और ठेकेदार द्वारा पालन नहीं किए जाने वाले किसी भी प्रावधान को इस संविदा का उल्लंघन माना जाएगा।
- 38. सफल बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदान किए जा रहे चालक के पास उसके नाम पर वैध ड्राइविंग लाइसेंस है और कम से कम दो (02) वर्ष का ड्राइविंग अनुभव है। चालक वर्दी में/अच्छे आचरण वाले और विनम्र होने चाहिए और उन्हें वैध बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के साथ मूल आरसी/टीसी पुस्तक और लाइसेंस हमेशा साथ रखना चाहिए।
- 39. वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र और कानून के तहत आवश्यक कोई अन्य प्रमाण पत्र या दस्तावेज और ड्यूटी पर रहते हुए उनके साथ फ़ोन आने और जाने की सुविधा वाला एक मोबाइल फोन होना चाहिए क्योंकि यह संस्थान को किसी भी समय चालक से संपर्क करने में सक्षम करेगा और संस्थान के साथ नंबर साझा किया जाना चाहिए । इसके लिए निफ्ट द्वारा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा। परेशानी मुक्त ड्राइविंग के लिए आवश्यक पुर्जों को वाहन में संग्रहित किया जाना है। निफ्ट की; लापरवाही, जल्दबाज़ी से और तेज ड्राइविंग से उत्पन्न होने वाली कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष देयता नहीं होगी जो कि आईपीसी की संबंधित धारा के तहत एक अपराध है और निफ्ट को हुए किसी भी नुकसान की ठेकेदार द्वारा उचित क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। अभिकरण निफ्ट में तैनात सभी ड्राइवरों के लिए वैध पुलिस सत्यापन रिपोर्ट (पीवीआर) प्रस्तुत करेगा।
- 40. एक बार पेश किए गए वाहनों और ड्राइवरों को सामान्य रूप से और किसी भी स्थिति में, निफ्ट प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुमति/सहमति के बिना नहीं बदला जाएगा। यदि कार/बस चालक को निफ्ट को/की पूर्व सहमति/सूचना के बिना बदल दिया जाता है, तो ऐसे प्रत्येक अवसर पर दिन के लिए देय शुल्क का 25% काटा जाएगा।
- 41. केवल वैध पंजीकरण, बीमा, फिटनेस प्रमाण पत्र वाले वाहनों की निफ्ट को आपूर्ति की जाएगी और ऐसे वाहनों पर देय कर आदि ठेकेदार की देनदारी होगी। स्नेहक, मरम्मत, रखरखाव, कर, बीमा आदि की लागत ठेकेदार की देयता होगी।
- 42. निफ्ट पथकर, पार्किंग शुल्क जहां कहीं भी खर्च होगा, मूल रसीदें जमा करने पर उसकी प्रतिपूर्ति करेगा। इस प्रयोजन के लिए चालक को ठेकेदार द्वारा छोटी-छोटी नकद राशि प्रदान की जानी चाहिए। निर्धारित वाहन को चलाने के लिए चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
- 43. ठेकेदार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मीटर की नियमित जांच की जाए, और मांगे जाने पर निफ्ट को अपेक्षित प्रमाण पत्र दिखाया जाए। संविदा अवधि में दिए गए वाहनों को उचित प्रदूषण जांच और वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के साथ निफ्ट की आवश्यकता के अनुसार अच्छी तरह से रखरखाव किया जाना चाहिए और चलने की सही स्थिति में होना चाहिए।
- 44. रखरखाव लागत, ईंधन के शुल्क (पेट्रोल/डीजल), सड़क कर, परमिट शुल्क, यात्री कर, सीमा कर, चालान, चालक का वेतन, अतिरिक्त समय और चालक के मोबाइल फोन शुल्क आदि की जिम्मेदारी ठेकेदार की है और इसका भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार कुशल श्रमिकों के रूप में प्रत्येक माह की 10 तारीख से पहले एजेंसी द्वारा चालकों के वेतन का भुगतान किया जाना है। केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर लागू किए गए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम औ श्रम कानूनों के अनुसार हर महीने चालकों को दिए जाने वाले वेतन का प्रमाण बैंक लेनदेन विवरण(चालक के खाते में वेतन जमा करने का विवरण) के समर्थन के साथ हर महीने निफ्ट को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। श्रम कानूनों के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी चालकों/श्रमिकों के लिए ईपीएफ और ईएसआईसी खाता खोला जाना चाहिए। केंद्र सरकार के श्रम कानूनों के अनुसार

कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी को समय-समय पर संशोधित करने की आवश्यकता है। ठेकेदार सुसंगत श्रम कानूनों या किसी अन्य अधिनियम के अनुपालन के लिए उस सीमा तक जिम्मेदार होगा, जहां तक वे उसके प्रतिष्ठान/कामगारों पर लागू होते हैं। यदि ठेकेदार किसी भी लागू कानून का अनुपालन नहीं करता है तो यह इस समझौते का उल्लंघन माना जाएगा और ठेकेदार को बिना कोई और नोटिस दिए, संस्थान को संविदा का निर्धारण करने का अधिकार होगा।

- 45. संस्थान को उपलब्ध कराए गए वाहनों का पूरी तरह और व्यापक रूप से बीमा होना चाहिए, जिसमें चालक और सभी यात्रियों का भी जोखिम शामिल हो।
- 46. मांग पर निफ्ट को भेजे गए वाहन में पंजीकरण प्रमाणपत्र/फिटनेस प्रमाणपत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/बीमा/सड़क कर रसीद/परमिट शुल्क रसीद/प्रदूषण प्रमाण पत्र/यात्री कर/सीमा कर आदि जैसे सभी सुसंगत दस्तावेज होने चाहिए। वाहन का लाइसेंस होना चाहिए और वाहन उत्सर्जन सहित समय-समय पर लागू होने वाले सरकार के सभी नियमों और विनियमों के अनुरूप होगा। । निफ्ट को आवश्यकता पड़ने पर वाहनों और चालकों से संबंधित मूल दस्तावेजों को सत्यापित करने का अधिकार होगा।
- 47. यदि वाहन अपेक्षित समय पर रिपोर्ट नहीं करता है या अच्छी स्थिति में या उचित दस्तावेजों के बिना पाया जाता है, तो वाहन को अस्वीकार कर दिया जा सकता है और वापस भेजा जा सकता है। इस प्रकार अस्वीकृत वाहन के लिए कोई भुगतान देय नहीं होगा।
- 48. किसी भी स्थिति में कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 49. बस और कारों को किराए पर लेने के लिए संविदा की अवधि; शुरू में संविदा पर हस्ताक्षर करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी, जो निफ्ट के विवेकाधिकार पर पारस्परिक रूप से स्वीकार्य दरें तथा निबंधनों और शर्तों पर संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने पर 02 वर्ष विस्तार (कुल 03 वर्ष अधिकतम) के अधीन होगी।
- 50. सबसे कम बोली लगाने वाला वाहन को निरीक्षण के लिए संस्थान द्वारा तय किए जाने वाले स्थान पर उपलब्ध कराएगा। यदि संस्थान वाहनों की स्थिति से संतुष्ट होता है, तभी सबसे कम बोली लगाने वाले को ठेका दिया जाएगा। यदि सबसे कम बोली लगाने वाला वाहन (वाहनों) को अच्छी स्थिति में उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है और जिसके परिणामस्वरूप संविदा प्रदान करने का पत्र जारी नहीं होता है, तो ट्रांसपोर्टर/फर्म/कंपनी/एजेंसी के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
- 51. सफल बोलीदाता संविदा) में अपेक्षित कार्य के सुरक्षित, प्रभावी और कुशल निर्वहन के लिए अपने खर्च पर वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाले प्रशिक्षित ड्राइवरों और अन्य कर्मचारियों को आवश्यक उपकरण, यंत्र, उपस्कर आदि प्रदान करेगा।
- 52. सफल बोलीदाता अपने खर्च पर सभी ड्राइवरों/अन्य कर्मचारियों को आवश्यक पहचान पत्र/लाइसेंस प्रदान करेगा, जिसे वे स्वयं को अनधिकृत व्यक्तियों से अलग करने के लिए दिखाएंगे। सफल बोलीदाता प्रत्येक चालक को उचित वर्दी के दो (02) सेट (एक जोड़ी जूते सहित) वार्षिक आधार पर प्रदान करेगा और उन्हें केवल वर्दी में ही रिपोर्ट करना होगा।
- 53. सफल बोलीदाता इस संविदा के एक भाग के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने कर्मचारियों / श्रमिकों के उचित और व्यवस्थित आचरण के लिए जिम्मेदार होगा और केवल ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करेगा जिनके चरित्र का पुलिस द्वारा सत्यापन किया गया है।
- 54. निफ्ट के अधिकारियों को आपत्ति करने के लिए स्वतंत्रता होगी और सफल बोलीदाता को उसके द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को तुरंत हटाना होगा, यदि निफ्ट के अधिकारियों की राय में वह व्यक्ति अवज्ञाकारी/अनअधीनस्थ है या दुर्व्यवहार करता है, अक्षम या लापरवाह है या अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन नहीं करता है या जिसका रोजगार अन्यथा अवांछनीय माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को बोलीदाता द्वारा निफ्ट अधिकारियों की लिखित अनुमति के बिना फिर से तैनात नहीं किया जाएगा। इस प्रकार हटाए गए किसी भी व्यक्ति को एक सक्षम विकल्प द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी आधार पर इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।
- 55. सभी चालकों/सहायकों तथा वाहनों के बीमा की जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी।
- 56. निफ्ट किसी भी सांविधिक दायित्वों से संबन्धित किसी भी चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और सफल बोलीदाता उसके स्वयं के या उसके किसी भी कर्मचारी की कार्रवाई के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति या देयता के मामले में निफ्ट की क्षतिपूर्ति करेगा।
- 57. निविदा प्रस्तुत करने पर, यह माना जाएगा कि बोलीदाता निविदा की प्रत्येक शर्त से सहमत है और किसी भी तरह से, कोई छूट नहीं मानी जाएगी, जब तक कि संस्थान द्वारा लिखित रूप में अन्यथा सूचित नहीं किया जाता है। बोलीदाता की देयता इस दस्तावेज़ के

तहत निर्धारित निबंधनों और शर्तों की सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य सभी निर्देशों तक विस्तारित होगी, जिन्हें संविदा के निबंधनों और शर्तों के रूप में माना जाएगा और इसका उल्लंघन होने पर वही परिणाम भुगतने होंगे, जो यहां वर्णित निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप भुगतने होंगे।

- 58. सभी उद्देश्यों के लिए, सफल बोलीदाता इस संविदा के अनुसरण में अपने द्वारा तैनात किए गए चालक, संचालक, सफाईकर्मी , सहायक आदि सहित सभी कामगारों का प्रधान नियोक्ता होगा।
- 59. सफल बोलीदाता यह वचन देगा कि उसके कर्मचारियों द्वारा चोरी सहित किसी भी प्रकार की भूल या चूक का कार्य एकमात्र उसकी जिम्मेदारी होगी और यह भी कि वह व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अपने कर्मचारियों के कारण होने वाली किसी भी हानि या क्षति या चोरी के लिए संस्थान को तुरंत क्षतिपूर्ति करेगा। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि निफ्ट में केवल ऐसे चालकों को ड्यूटी पर तैनात किया जाए जो मेहनती हों और विनम्र और शिष्ट व्यवहार करते हों।
- 60. सफल बोलीदाता द्वारा इस प्रकार तैनात किए गए चालक और संचालक के पास लागू मोटर वाहन नियमों के अनुसार आवश्यक योग्यता और लाइसेंस होना चाहिए और उनका कोई पिछला खराब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
- 61. बोलीदाता वाणिज्यिक वाहनों के रूप में पंजीकृत कम से कम 03 बसें जो वर्ष 2016 से पुराने मॉडल की न हों और 07 कारें (एसी) जो वर्ष 2018 से अधिक पुरानी न हो, उपलब्ध कराएगा और उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियां अर्हक बोली दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। बसें उत्कृष्ट कार्यशील स्थिति में होनी चाहिए। नवीनतम मॉडल कारों (मॉडल: 2018) को चयनित एजेंसी द्वारा ड्यूटी के लिए तैनात किया जाएगा। तैनात कारों को निम्नलिखित से सुसज्जित होना चाहिए:
- साफ अच्छी गुणवत्ता वाले सीट कवर
- फर्श कालीन
- रबड़ पायदान
- पीछे की तरफ रीडिंग लाइट।
- अग्निशामक (स्प्रे)।
- कार इत्र
- ऊतक (टिशू) बॉक्स
- मानसून के दौरान छाता।
- मोबाइल चार्जर।
- 62. सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए जाने वाले वाहन हमेशा विशेष रूप से अच्छी स्थिति में होने चाहिए, रखरखाव अच्छा होना चाहिए, अच्छी तरह से (आंतरिक और बाहरी रूप से) साफ किया जाना चाहिए, डिकी में धूल, कचरा, तेल और चालक का कोई भी व्यक्तिगत सामान नहीं होना चाहिए। वाहनों के अंदर हर समय स्वच्छ स्थिति बनाए रखी जानी चाहिए और यह निफ्ट द्वारा आवधिक निरीक्षण के अधीन होगा।
- 63. सेवा प्रदाता श्रम और अन्य कानूनों (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ईपीएफ, ईएसआईसी, आदि) के प्रावधानों का पालन करेगा। सेवा प्रदाता के कर्मचारियों को निफ्ट के कर्मचारी नहीं माना जाएगा।
- 64. सेवा प्रदाता एक बार सहमत हो जाने पर सेवा के किसी भी भाग को या किसी शेयर या ब्याज को किसी भी तरीके या डिग्री में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति, फर्म या निगम को न ही हस्तांतरित करेगा न ही सौंपेगा और न ही उपट्टे पर देगा।
- 65. निफ्ट में ड्यूटी के लिए तैनात वाहन किसी भी समय संस्थान द्वारा प्राधिकृत कर्मियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं ले जाएंगे। एक बार ड्यूटी के लिए रिपोर्ट किया गया वाहन संबंधित अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना निफ्ट के परिसर से बाहर नहीं जाएगा। ईंधन आदि अग्रिम रूप से भरा जाना चाहिए और वाहन बिना पूर्व प्रतिस्थापन के किसी भी मरम्मत या अन्य कार्यों के लिए नहीं ले जाया जाना चाहिए।
- 66. किसी भी दुर्घटना के परिणामस्वरूप संपत्ति या जीवन को नुकसान या क्षति के मामले में, किसी भी कानूनी या वित्तीय पहलू के लिए एकमात्र जिम्मेदारी केवल सफल बोलीदाता के पास होगी। निफ्ट का कोई दायित्व नहीं होगा। सफल बोलीदाता के कर्मचारियों और निफ्ट के बीच कोई संबंध नहीं होगा। सफल बोलीदाता द्वारा पर्यवेक्षित और नियंत्रित किए जाएंगे और उनका संस्थान से कोई संबंध नहीं होगा। निफ्ट के पास कानून के तहत अनुमति के अलावा ऐसे कामगारों को नियंत्रित करने या उनकी निगरानी करने या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की शक्ति नहीं होगा। ऐसे कामगारों का भी निफ्ट में तैनात होने के आधार पर निफ्ट में किसी भी अस्थायी या स्थायी पदों पर सेवा या सेवाओं के नियमितीकरण के लिए निफ्ट के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा। सभी उद्देश्यों के लिए, सफल बोलीदाता उनका प्रधान नियोक्ता होगा।

- 67. सफल बोलीदाता को इस संविदा के प्रयोजन के लिए अपने द्वारा तैनात किए जाने वाले वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा पॉलिसियों आदि की प्रतियां संस्थान के पास जमा करनी होंगी। इसके अलावा, सफल बोलीदाता द्वारा चालकों, संचालकों और सहायकों और अन्य कामगारों को तैनात किए जाने से पहले उनके विस्तृत जीवन-वृत्त, लाइसेंस की प्रति और अन्य आवासीय प्रमाण के साथ एक पूरी सूची संस्थान को प्रस्तुत की जानी चाहिए। परिवर्तन होने पर निफ्ट को सूचित किया जाना चाहिए।
- 68. सफल बोलीदाता को काम में लगे अपने कामगारों के लिए पर्याप्त बीमा पॉलिसी/पॉलिसियां लेनी होंगी, जो काम पर मृत्यु/चोट/विकलांगता आदि से उत्पन्न मुआवजे के दायित्व को पूरा करने के लिए हैं।
- 69. सफल बोलीदाता संस्थान में ड्यूटी के लिए तैनात कर्मियों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।
- 70. किसी भी वैधानिक दायित्वों के संबंध में किसी भी चूक के लिए निफ्ट किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा और सफल बोलीदाता उसके स्वयं के और उसके कार्यबल की किसी भी कार्रवाई के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति या देयता के मामले में निफ्ट की क्षतिपूर्ति करेगा।
- 71. फर्म/कंपनी को मासिक आधार पर अंतिम रूप से सहमत मूल्य के अनुसार भुगतान किया जाएगा। वाहनों के वास्तविक उपयोग के लिए मासिक बिल (दो प्रतियों में) सेवा प्रदाता द्वारा अगले महीने के पहले पखवाड़े के दौरान निफ्ट को प्रस्तुत किए जाने हैं।
- 72. सभी सहायक दस्तावेज जैसे, ड्यूटी पर्ची आदि बिलों के साथ जांच के लिए जमा किए जाने चाहिए।
- 73. सभी भुगतान संबंधित उपयोगकर्ता/या नामित अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण के अधीन किए जाएंगे।
- 74. भुगतान का दावा करते समय सेवा प्रदाता को बिल पर प्रमाणित करना होगा कि दावा किया जा रहा भुगतान संविदा की शर्तों के भीतर है और उसकी ओर से इस भुगतान का दावा करने के लिए संविदा के तहत सभी दायित्वों को आवश्यक रूप से पूरा किया गया है।
- 75. सेवा प्रदाता को किए जाने वाले भुगतान से स्रोत पर करों की कटौती संविदा की अवधि के दौरान लागू मौजूदा कानून के अनुसार की जाएगी।
- 76. भुगतान सभी प्रकार से पूर्ण बिलों की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अधिक पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली जैसे एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से भारतीय मुद्रा में किया जाएगा।
- 77. कर्तव्यों और करों में सांविधिक भिन्नताओं को खरीद इकाई द्वारा वहन किया जाएगा। एक सामान्य नीति के रूप में इस तरह के कर्तव्यों और करों में वैधानिक बदलाव की अनुमति निविदा की तारीख से स्वीकृति की तारीख तक की अवधि के दौरान अर्थात संविदा को प्रदान किए जाने और संविदा की मूल / पुन:निर्धारित अवधि के दौरान दी जाएगी ताकि दोनों सेवा प्रदाता और खरीद इकाई को वैधानिक करों की दरों में वृद्धि या गिरावट के लिए समान रूप से मुआवजा दिया जा सके।

## प्रस्तुतीकरण प्रारूप:

- 1. तकनीकी बोली
- 2. वित्तीय/मूल्य बोली
- 3. बोली सुरक्षित घोषणा
- 4. घोषणाएं
- 5.बैंक मैंडेट फॉर्म

## तकनीकी बोली [निफ़्ट श्रीनगर द्वारा बस और कार किराए पर लेने हेतु]

	्यान प्रत त्रानगर द्वारा बस आर कार किराए पर प	
क्र. सं.	निम्न सूचना व दस्तावेजों की आवश्यकता है	विवरण
1.	अभिकरण/फर्म/कंपनी आदि का नाम:	
2.	स्वामी/मालिक/साझेदार आदि का नाम, पता, पदनाम, टेलीफोन नंबर फोन नंबर, फैक्स नंबर, ई-मेल आईडी:	
3.	स्वामित्व/कानूनी स्थिति की प्रकृति: (एकमात्र मालिक, साझेदार फर्म, लिमिटेड कंपनी, निगम, आदि प्रमाण संलग्न करें)	
4.	अभिकरण /फर्म/कंपनी आदि की पंजीकरण संख्या। यात्री/पर्यटक वाहन किराए पर लेने का व्यवसाय शुरू करने का महीना और वर्ष (प्रमाणपत्र की विधिवत स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा की जानी चाहिए)	
5.	कंपनी/फर्म के कर्मचारियों के लिए ईपीएफ और ईएसआई का पंजीकरण, यदि आवश्यक हो (प्रमाणपत्र की विधिवत स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा की जाए)	
6.	अभिकरण /फर्म/कंपनी आदि का पैन तथा वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) (प्रमाणपत्र की विधिवत स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा की जाए)	
7.	पिछले दो वर्षों के लिए आयकर रिटर्न और चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित आवर्त/टर्नओवर प्रमाणपत्र (प्रति संलग्न करें)	
8.	अभिकरण को अपने पत्र-शीर्ष पर यह वचन देना होगा कि उसे पिछले 5 वर्षों में किसी भी सरकारी विभाग/एजेंसी द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है	
9.	बोलीदाता को वाणिज्यिक वाहनों के रूप में पंजीकृत न्यूनतम 03 बसें जिनका मॉडल वर्ष 2016 से अधिक पुराना नहीं है और 07 कारें (एसी) जो वर्ष 2018 से अधिक पुरानी नहीं हैं के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतियां प्रदान करनी होगी(उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतियां सबूत के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए)। यदि वरीय रूप से सरकारी/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त निकाय/प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तरके संस्थान/अस्पताल को वाहन प्रदान कराने में 2 वर्ष का	
11.	अनुभव है: (प्रमाणपत्र की विधिवत स्व-सत्यापित प्रतिजमा की जाए) बोली दस्तावेज़ में निहित निबंधन व शर्तों की स्वीकृति, बोलीदाता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को हस्ताक्षर(आवश्यक प्राधिकरण पत्र के साथ) करने होंगे तथा बोली दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ पर	
	फर्म/कंपनी की मुहर लगानी होगी	

स्थान:

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक:

बोलीदाता का नाम

## <u>वित्तीय/मूल्य बोली</u>

- 1. अभिकरण/फर्म/कंपनी का नाम
- 2. अभिकरण/फर्म/कंपनी का पता:

## गैर-एसी बस की दरें (मासिक आधार पर)

विवरण	32+डी सीटर  (गैर-एसी) (उद्धृत दर जीएसटी को छोड़कर)
(1) प्रति माह 1200 किमी के प्रति माह 390 घंटे (प्रति दिन 13 घंटे,	
सप्ताह के सातों दिन, सुबह 08.00 बजे से रात 9.00 बजे तक)	रुपए
(2) 1200 किमी. से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए	
	रुपए प्रति किमी
(3) 390 घंटे से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त घंटे के लिए	
	रुपएपति घंटा

<u>नोट:</u>

- 1. साप्ताहिक 7 दिन काम करना
- 2. रास्ते में किसी प्रकार की खराबी की स्थिति में एजेंसी द्वारा तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।

महत्वपूर्ण नोट: यदि मासिक चाल बस के लिए मानक 1200 किमी/390 घंटे से कम है, तो शेष किमी/घंटे को अगले तीन महीनों में समायोजित किया जाएगा।

घोषणा

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

## <u>वित्तीय/मूल्य बोली</u>

- 1. अभिकरण/फर्म/कंपनी का नाम
- 2. अभिकरण/फर्म/कंपनी का पता:

## एसी कार की दरें (मासिक आधार पर)

विवरण	वाहन का प्रकार
	पहिन का प्रकार
	टोयोटा इटियोस/स्विफ्ट डिजायर/मारुति सियाज/या कोई भी वाहन समकक्ष या उच्चतर
	संस्करण
	01 संख्या
	2000 किमी प्रति माह के लिए 360 घंटे प्रति माह (प्रति दिन 12 घंटे, सप्ताह के सात दिन
	)
	, सुबह 08:00 बजे से शाम 08:00 बजे तक)
(1) मासिक शुल्क	रुपए
	(उद्धृत दर जीएसटी को छोड़कर)
(2)हर अतिरिक्त किलोमीटर के	
लिए	रुपएप्रति किमी
	(उद्धृत दर जीएसटी को छोड़कर)
(2) हर अतिरिक्त 360 घंटे के	
लिए	रुपएप्रति घंटा
	(उद्धृत दर जीएसटी को छोड़कर)
(d) रात को किसी बाह्य	
स्थान पर रुकने का	रुपएप्रति रात्रि
शुल्क	(उद्धृत दर जीएसटी को छोड़कर)

## <u>नोट:</u>

- 1. साप्ताहिक 7 दिन काम करना
- 2. रास्ते में किसी प्रकार की खराबी की स्थिति में एजेंसी द्वारा तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।

महत्वपूर्ण नोट: यदि मासिक चाल बस के लिए मानक 1200 किमी/390 घंटे से कम है, तो शेष किमी/घंटे को अगले तीन महीनों में समायोजित किया जाएगा।

घोषणा

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

## <u>वित्तीय/मूल्य बोली</u>

एसी ट्रैवलर/मिनीबस/बस (दैनिक आधार पर) के लिए दरें शहर की सीमा के बाहर और जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के भीतर (परमिट शुल्क सहित, यदि कोई हो)

- 1. अभिकरण/फर्म/कंपनी का नाम
- 2. अभिकरण/फर्म/कंपनी का पता:

विवरण	<b>16+</b> डी सीटर	24+ डी सीटर	<b>32+</b> डी सीटर	<b>40+</b> डी सीटर
किसी भी दिन 6 कार्य घंटों के लिए पहले 60 किमी की दरें	रु	रु	रु	रु
किसी भी दिन 10 कार्य घंटों के लिए पहले 100 किमी की दरें	रु	रु	रु	रु
किसी भी दिन 12 कार्य घंटों के लिए पहले 250 किमी की दरें	रु	रु	रु	रु
प्रति किमी अतिरिक्त शुल्क	रुप्रति किमी	रुप्रति किमी	रुप्रति किमी	रु प्रति किमी
प्रति घंटा अतिरिक्त शुल्क	रुप्रति घंटा	रुप्रति घंटा	रु प्र ति घंटा	रु प्र ति घंटा
रात को किसी बाह्य स्थान पर रुकने का शुल्क	रुप्रति रात्रि	रुप्रति रात्रि	रु प्रति रात्रि	रु प्रति रात्रि

## <u>नोट:</u>

1. दरों में चालक का वेतन, पीओएल शुल्क आदि शामिल होंगे। उच्च क्षमता वाली बसों के मामले में, दरों में सहायक की मजदूरी भी शामिल होगी।

हालांकि, वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर पथकर या पार्किंग शुल्क आदि की अलग से प्रतिपूर्ति की जाएगी।

- 2. ऊपर उद्धृत दर जीएसटी को छोड़कर होगी।
- 3. 32+डी, 40+डी, 50+डी सीटर बसों में एक-एक सहायक उपलब्ध कराया जाए।
- 4. रास्ते में कोई मोटर वाहन खराब होने की स्थिति में एजेंसी को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।

## घोषणा

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

## वित्तीय/मूल्य बोली एसी कार की दरें (दैनिक आधार पर)

## 1. अभिकरण/फर्म/कंपनी का नाम

## 2. अभिकरण/फर्म/कंपनी का पता:

विवरण	सुजुकी स्विफ्ट डिजायर/टोयोटा इटियोस/हुंडई एक्सेंट/होंडा अमेज/फोर्ड फिगो एस्पायर /फोर्ड इको स्पोर्ट या कोई सेडान वाहन समकक्ष या उच्चतर आरूप	00	टोयोटा इनोवा/महिंंद्रा एक्सयूवी <b>500/</b> स्कॉर्पियो या समकक्ष या उच्चतर आरूप
किसी भी दिन 6 कार्य घंटों के लिए पहले 60 किमी की दरें	रु	रु	रु
किसी भी दिन 10 कार्य घंटों के लिए पहले 100 किमी की दरें	रु	रु	रु
किसी भी दिन 12 कार्य घंटों के लिए पहले 250 किमी की दरें	रु	रु	रु
प्रति किमी अतिरिक्त शुल्क	रुप्रति किमी	रुप्रति किमी	रुप्र ति किमी
प्रति घंटा अतिरिक्त शुल्क	रुपति घंटा	रुप्रति घंटा	रुपति घंटा
रात को किसी बाह्य स्थान पर रुकने का शुल्क	रुप्रति रात्रि	रुप्रति रात्रि	रुप्रति रात्रि

## <u>नोट:</u>

1. दरों में चालक का वेतन, पीओएल शुल्क आदि शामिल होंगे। उच्च क्षमता वाली बसों के मामले में, दरों में सहायक की मजदूरी भी शामिल होगी। हालांकि, वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर पथकर या पार्किंग शुल्क आदि की अलग से प्रतिपूर्ति की जाएगी।

2. ऊपर उद्धृत दर जीएसटी को छोड़कर होगी।

3. 32+डी, 40+डी, 50+डी सीटर बसों में एक-एक सहायक उपलब्ध कराया जाए।

4. रास्ते में कोई मोटर वाहन खराब होने की स्थिति में एजेंसी को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।

## घोषणा

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर कंपनी की मुहर के साथ

निविदाकार के हस्ताक्षर

## इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर / आरटीजीएस ट्रांसफर के लिए मैंडेट फॉर्म

स	۰.

दिनांक:

#### निफ़्ट, श्रीनगर

निफ्ट, श्रीनगर से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर/आरटीजीएस ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान/बकाया राशि विषय· जारी करने के लिए अनुज्ञप्ति।

#### अभिकरण/फर्म/कंपनी का नाम 1.

2. पक्षकार का पता:

शहर

\_पिन कोड\_\_\_\_\_ ई-मेल मोब.न.:

पैन सं

बैंक का विवरण: 3.

बैंक का नाम:	शाखा का नाम:	
शाखा शहर:	शाखा कोड:	
पिन कोड:		
एमआईसीआर न.:		

#### कृपया बैंक द्वारा दिए गए चेक की MICR संख्या, बैंक का नाम, शाखा का नाम और कोड संख्या की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए 4. अपने बैंक के चेक की एक प्रति संलग्न करें)

IFS Code:(11-digit alpha numeric code)														
Account Type	Savings			Curr	ent	•	Са	sh C	Crec	dit				
Account Number:														

#### घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूर्ण हैं। यदि अधूरी या गलत जानकारी के कारण किसी लेन-देन में देरी होती है और प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो मैं निफ्ट को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। मैं एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से पैसा हस्तांतरित करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड को अद्यतन करने की सुविधा के लिए अपने बैंक खाते के विवरण में किसी भी बदलाव के बारे में निफ्ट श्रीनगर को सूचित करने का भी वचन देता हूं।

<u>स्थान :</u>

दिनांक :

## पक्षकार के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारे रेकॉर्ड के अनुसार ऊपर दिया गया विवरण सही है

बैंकर की मुहर

दिनांक:

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

# निफ्ट श्रीनगर को दिए जाने वाले वाहनों (बसों और कारों) का विवरण।

वाहन पंजीकरण संख्या	वाहन का मॉडल	वाहन का विनिर्माण वर्ष

(यदि आवश्यक हो तो अधिक जानकारी के लिए विधिवत हस्ताक्षरित अलग शीट संलग्न करें।)

## निम्नलिखित प्रारूप में वर्तमान और पिछले ग्राहकों की सूची: (यदि आवश्यक हो तो प्रारूप को बदले बिना , कृपया विधिवत हस्ताक्षरित अलग शीट का उपयोग करें)।

क्र. सं.	पूर्ण डाक पते के साथ संगठन का नाम	संपर्क व्यक्ति का नाम और पदनाम दूरभाष/मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के साथ	अवधि जिसके लिए संविदा की गई है/थी	साइट पर आपकी फर्म द्वारा दिया गया यात्री वाहन का नाम/संख्या

कृपया संविदा की अवधि को स्पष्ट रूप से बताते हुए क्लाइंट प्रमाणपत्र/कार्य आदेश/प्रदर्शन प्रमाणपत्र आदि संलग्न करें।

पिछले दो वर्षों के दौरान किराया प्रभार के आधार पर यात्री/पर्यटक वाहन उपलब्ध कराने के क्षेत्र में आवर्त। (प्राधिकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत स्व-सत्यापित प्रमाण पत्र या आयकर प्रमाणपत्र या निम्नलिखित में से किसी भी दस्तावेज अर्थात लाभ और हानि खाता, तुलन-पत्र या आयकर रिटर्न जमा करें)

वित्तीयवर्ष	2018-19	2019-20
वार्षिक आवर्त (Rs. in Lakh)		

- 1. कर्मचारियों की संख्या (चालक/सहायक/यांत्रिकी)।
- पिछले तीन वर्षों का लेखापरीक्षित तुलन पत्र। फर्म का वार्षिक कारोबार पिछले दो लगातार वर्षों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ₹500000/- (पांच लाख रुपये) से कम नहीं होना चाहिए (बस और कारों दोनों के लिए बोली)।

<u>घोषणा</u>

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं।

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर) नाम: पद: फर्म/अभिकरण/कंपनी की मुहर:

## <u>बोली सुरक्षित घोषणा</u>

निदेशक	
निफ़्ट,रंगरेट	
श्रीनगर	
संदर्भ:	_दिनांक

महोदय,

मैं/हम\_

घोषणा करते हैं कि:

1. मैं/हम समझते हैं कि "बोली सुरक्षित करने की घोषणा" बयाना जमा राशि के बदले में है और संस्थान के हितों को हर तरह से सुरक्षित करने के लिए है। इस घोषणा को बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करना अनिवार्य है; और

2. मैं/हम तीन (03) वर्ष की अवधि के लिए निफ्ट श्रीनगर में संविदाओं के लिए बोली प्रस्तुत करने के लिए पात्र होने से निलंबित होना स्वीकार करते हैं, यदि,

क) मैं/हम इसकी वैधता की अवधि के दौरान बोली को वापस लेते हैं या संशोधित करते हैं।

बी) संविदा दिए जाने के बाद संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल होते हैं।

ग) निविदा दस्तावेज में परिभाषित समय सीमा से पहले निष्पादन प्रतिभूति जमा करने में विफल होते हैं।

3. मैं/हम समझते हैं कि सफल बोलीदाता के नाम के बारे में अधिसूचना जारी करने पर मुझे/हमें संविदा नहीं दी जाती *है,* तो यह "बोली सुरक्षित घोषणा" अकृत और शून्य होगी।

4. मैं/हम यह भी जानते हैं कि संयुक्त उद्यमों के मामले में, "बोली सुरक्षित घोषणा" बोली जमा करने वाले संयुक्त उद्यम के नाम पर होनी चाहिए। यदि बोली के समय कानूनी रूप से संयुक्त उद्यम का गठन नहीं किया गया है, तो यह घोषणा संयुक्त उद्यम समझौते में निहित सभी साझेदारों के नाम पर होगी।

आज श्री	की ओर र	प्ते /के लिए	पर
हस्ताक्षर किए।	पता		
		हस्ताक्षर	
		नाम	
की	हैसियत से		

नोट: इस घोषणा पर केवल प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं

# <u>घोषणाएँ</u>

- अधोहस्ताक्षरी सत्यनिष्ठा से पुष्टि करते हैं कि मैंने इस निविदा दस्तावेज को पूरी तरह से पढ़ और समझ लिया है और मैं इसमें निर्धारित निबंधनों और शर्तों का पालन करूंगा। किसी भी खंड के उल्लंघन के मामले में बोली को अकृत और शून्य माना जाएगा।
- अधोहस्ताक्षरी सत्यनिष्ठा से पुष्टि करते हैं कि मुझे/हमें पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी केंद्र/राज्य सरकार,
  विभागों/कार्यालयों/स्वायत्त निकायों या किसी भी गैर-सरकारी संगठन द्वारा प्रतिबंधित या काली सूची में नहीं डाला गया है।
- 3. अधोहस्ताक्षरी एतद्वारा वित्तीय/मूल्य बोली में उद्धृत दरों का पालन करने की सत्यनिष्ठा से पुष्टि करते हैं।
- 4. अधोहस्ताक्षरी एतद्वारा सेवाओं की सार्वजनिक खरीद के लिए आचार संहिता के प्रावधानों का पालन करने की सत्यनिष्ठा से पुष्टि करते हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

बोलीदाता का नाम

स्थान:

दिनांक



राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संसथान वस्त्र मंत्रालय,भारत सरकार सिडको,इलेक्ट्रॉनिक काम्प्लेक्स रंगरेट श्रीनगर 191132,जम्मू कश्मीर National Institute of Fashion Technology Ministry of Textiles, Govt. of India SIDCO Electronic Complex Rangreth, Srinagar-191132 J&K

#### 16634(1)/NIFT/Sgr/Accts/Hiring of Vehicles/2018/827

Dated: 26/07/2021

#### e-Tender Notice

National Institute of Fashion Technology (NIFT) Srinagar (hereinafter referred to as the "institute" set up by Government of India, Ministry of Textile in 1986, accorded statutory status under an act of the Parliament viz., NIFT Act, 2006, is an institute of National importance. The institute is engaged in imparting technical education and research of highest standards in the areas of Fashion Technology. NIFT Srinagar is presently functioning from its transit campus at SIDCO, Electronic Complex, Rangreth, Srinagar and is likely to shift to its permanent campus at Ompora, Budgam in near future. e-tenders under "**Two Bid System**" are invited on behalf of the President of India by the Director, NIFT, Srinagar for selection of a well-established, reputed, and experienced Transporter/Firm/Company/Agency to provide the Bus and Cars of different makes/models for use by its students and officers on monthly hire charges for a period of one year extendable on yearly basis for a further period of two years subject to satisfactory performance of the Transporter/Firm/Company/Agency. The bidders should go through the details contained in the Tender Document available at https://eprocure.gov.in before submitting their bids.

<u>Time Schedule for Tendering Process</u>

e-Tender Notification Date= 26-07-2021Last Date for Receipt of Bids on-line= 16-08-2021(16:00 hrs)Opening of Technical Bids= 17-08-2021(15:00 Hrs)Opening of Financial/Price Bids= shall be notified separately to the eligible bidders.

Earnest Money Deposit (EMD) is **not** required for participation in the tendering process. However, the bidders are required to sign the "Bid Securing Declaration" and attach the same to the Technical Bid.

The bidders shall have to enclose all relevant documents (self-attested) to the Technical Bid both in softcopy as well as hardcopy form. Hard Copies of Technical Bid and Financial/Price Bid shall have to be deposited by the bidders in the office of the Director, NIFT SIDCO Electronic Complex Rangreth Srinagar by or before **16-08-2021(05:30 p.m)**. Bids not supported by the documents as mentioned in the detailed Tender Document available at the institute's website www.nift.ac.in/srinagar are liable to be rejected.

For any clarification(s) the bidders can contact the following officers of the institute or e-mail their queries to them.

Mr. Nisar Ahmad Bhat Consultant, NIFT Srinagar or Email ID: <u>consultant.srinagar@nift.ac.in</u> Mr. Asif Arshid Ganie I/c Transport Email ID: <u>estates.srinagar@nift.ac.in</u> Tel: 0194-2300995

> Director NIFT Srinagar

#### **Tender Document**

Invitation to Tenders under "Two Bid System" for selection of a well-established, reputed and experienced Transporter/Firm/Company/Agency to provide the Bus and Cars of different makes/models for use by the students and officers at NIFT Rangreth Srinagar on monthly hire charges for a period of one year extendable on yearly basis for a further period of two years subject to satisfactory performance of the Transporter/Firm/Company/Agency.

#### **Scope of Tender:**

Hiring of Bus and Cars of different makes/models for use by students and officers of NIFT Rangreth Srinagar on monthly hire charges.

#### **<u>Time Schedule for Tendering Process</u>**

e-Tender Notification Date	26-07-2021
Last Date for Receipt of Bids on-line	16-08-2021(16:00 hrs)
Opening of Technical Bid	17-08-2021(15:00 hrs)
Opening of Financial/Price Bid	Shall be notified
	separately to the
	eligible bidders.

The bidders shall have to enclose all relevant documents (self-attested) to the Technical Bid both in softcopy as well as hardcopy form. Hard Copies of Technical Bid and Financial/Price Bid shall have to be deposited by the bidders in the office of the Director, NIFT SIDCO Electronic Complex Rangreth Srinagar by or before **16-08-2021(05:30 p.m)**. Bids not supported by the documents as mentioned in the Tender Document available at the institute's website www.nift.ac.in/srinagar are liable to be rejected.

For any clarification(s) the bidders can contact the following officers of the institute or e-mail their queries to them.

Mr. Nisar Ahmad Bhat Consultant, NIFT Srinagar Email ID: <u>consultant.srinagar@nift.ac.in</u>

0r

Mr. Asif Arshid Ganie I/c Transport Email ID: <u>estates.srinagar@nift.ac.in</u> Tel: 0194-2300995

#### **Requirement**

The NIFT essentially intends to hire 01 Non–AC Bus (32+D Seater) to ply within Srinagar/Budgam Districts on monthly charges {excluding winter vacation of about 02 months} and 02 AC-Cars on monthly charges to ply within Srinagar/Budgam Districts as well as within the UT of Jammu and Kashmir. The successful bidder is to be considered for "Empanelment for the Contract of hiring Bus and Cars on monthly charges initially for a period of one year.

#### Instructions to Bidders:

- 1. The intending bidders must read the terms and conditions of the whole Tender Document carefully. They should submit their bids, if they consider themselves eligible and are in possession of all documents required.
- 2. At any time prior to the date of submission of bids the institute may either at its own initiative or in response to a clarification sought by a prospective bidder amend the Tender Document by issuing a corrigendum. The corrigendum shall be notified prominently on the website of the institute.
- 3. The bid shall be submitted only in official e-tender form. If submitted in any other form, the bid shall be summarily rejected.
- 4. The interested bidders shall have to apply online only and submit their bids along with scanned copies of all relevant certificates and documents duly signed by them in support of Technical Bid and Financial/Price

Bid at <u>https://eprocure.gov.in</u> **"Tender for Hiring Bus and Cars at NIFT, Srinagar** from **26-07-2021 to 16-08-2021 up to 16:00 hrs.** 

- 5. The bid shall be submitted only through online mode and bids submitted through any other mode shall be invalid.
- 6. The name and address of the Bidder shall be clearly written in the space provided and no correction, overwriting, insertions, interpolation, etc. are permissible in any part of the tender unless duly attested by the bidder under his seal and full signatures. The tender is to be filled in and submitted strictly in accordance with the given instructions. Otherwise, the bid is liable to be rejected unilaterally without assigning any reason or giving any explanation therefor.
- 7. The bid shall be liable to be rejected if the documents are not filled in completely or if any information and data mentioned in the bid is not completely recorded therein or if incorrect/ wrong/ false/ manipulated information is furnished or any information having material effect on the bid evaluation is suppressed/concealed.
- **8.** The hardcopies of both Technical Bid and Financial/Price Bid with all relevant documents in original shall have to be deposited with the office of the Director, NIFT Srinagar by or before **16-08-2021 up to 05:30 pm**
- 9. The Technical bids shall be opened on **17-08-2021(15:00 hrs**) in the presence of such bidders who wish to be present themselves or in the presence of their authorized representatives.
- 10. No Earnest Money Deposit is required to be furnished. However, Bid Securing Declaration duly signed by the bidder is to be attached to the Technical Bid (soft as well as hard copies). The offers received without Bid Securing Declaration shall be summarily rejected.
- 11. The bids (hard copy) received after the closing date and time i.e., **16-08-2021(05:30 hrs)** shall not be considered for any reasons whatsoever.
- 12. The institute reserves the right to accept or reject any or all the offers either partly or fully without assigning any reason.
- 13. Bid Securing Declaration shall be enforced if the bidder withdraws, amends, impairs, or derogates from the bid in any respect within the validity period of his bid.
- 14. In case L1 is more than one, the decision of the Director of the Institute for selection of the lowest bidder shall be final and binding on all affected bidders. Neither any explanation shall be required, nor shall further communication be entertained by the institute in this regard.
- 15. All matters relating to this tender shall be governed by the Indian Laws both substantive and procedural for the time being in force and shall be subject to the exclusive jurisdiction of Courts of Law at Srinagar/Budgam (J&K).
- 16. The bidders shall quote the rate in the Financial/Price Bid both in figures and words. Incomplete bids shall be rejected summarily. All corrections and alterations in the bid papers shall have to be attested by the bidder under his seal and full signatures. No erasing and overwriting are permissible otherwise the bid shall be treated as incomplete and rejected summarily. The use of white correction fluid is totally forbidden.
- 17. If a bidder quotes nil rate, the bid shall not be considered and treated as unresponsive.
- 18. All statutory taxes and duties including GST and any other taxes and duties chargeable shall have to be borne by the bidder and no liability in this respect shall pass on at any time to the institute. The rate quoted shall be firm and any deviation from the rate or terms and conditions during the validity period of the offer shall entail forfeiture of the Performance Security, enforcement of Bid Securing Declaration and entitle the institute to initiate appropriate legal action against the bidder.
- 19. All the bidders shall have to submit their bids in two covers (1) Technical Bid and (2) Financial/Price Bid as under.
  - a) Technical Bid shall contain all the supporting documents duly signed by the concerned bidder but without quoting rates.
  - b) Financial/Price Bid shall contain the details of the rate quoted duly signed by the concerned bidder.
  - c) Envelops of Technical Bid and Financial/Price Bid shall be sealed separately. The envelope containing Technical Bid shall be superscripted as **"Tender for Hiring Bus and Cars**"– Technical Bid" Similarly, the envelope containing Financial/Price Bid shall be superscripted as "Tender for Hiring Bus and Cars Financial/Price Bid". Both these envelops shall be placed in the third envelope and superscripted as "Tender for Hiring Bus and Cars". If outer envelope/cover is not sealed and marked properly the institute shall not assume any responsibility for its misplacement, premature opening, late opening, etc.

- 20. Only Technical Bid shall be opened on the date of tender opening. Whereas the Financial/Price Bids of only those bidders shall be opened whose Technical Bids are found complete and acceptable in all respects. The date and time for opening of the Financial/Price Bids shall be notified separately subsequent to opening of the Technical Bids.
- 21. The offer received in a "Single Tender System" mode i.e., both Technical Bid and Financial/Price Bid placed in one and the same cover shall be liable to be rejected.
- 22. The bidders should constantly watch the website of the institute for any queries, clarifications, corrigenda, etc. relating to this tender.
- 23. The representations, if any, related to the tender document must be submitted to the institute well before the date and time of opening of the Technical Bid.
- 24. After declaration of qualifying Technical Bids by the Bids Opening Committee of the institute, the rates quoted in the Financial/Price Bids shall be selection criteria i.e., lowest quoted monthly rates. The bidder has to quote the rates inclusive of all applicable taxes and duties.
- 25. The bid submitted by a bidder shall remain valid for **75 days** from the date of opening of the bid.
- 26. The bidders shall have to abide by the Code of Integrity for Public Procurement of Services. In case of any transgression of this Code the bidder shall be liable to punitive actions such as cancellation of his/her bid/contract, banning/blacklisting him/her or taking any action against him/her in the Competition Commission of India and so on.
- 27. The bidder shall not have Conflict of Interest with other bidders. The Conflict of Interest can lead to anticompetitive rates to the detriment of the institution's interests. The bidder found to have Conflict of Interest shall be disqualified.
- 28. Decision of the institute regarding interpretation of terms and conditions of the Tender Document shall be final and binding on all concerned.
- 29. The bidders submitting the bids shall be considered to have read and accepted all the terms and conditions attached to the tender. No enquiries oral or written shall be entertained in respect of acceptance or rejection of the bid(s).
- 30. The bids received through telex, cable and facsimile shall be ignored and rejected.
- 31. The bids with inbuilt conditions shall be treated as unresponsive.
- 32. No paper/document shall be detached from the Tender Document.
- 33. The bidder, after submitting its bid is permitted to withdraw/alter/modify its bid so long such withdrawal/alteration/modifications are received duly sealed and marked like original bid up to the date and time of receipt of bids. Any withdrawal/amendment/modification received after the prescribed date and time shall not be considered.
- 34. No bid shall be withdrawn in the interval between the deadline for submission of bids and expiration of the period of bid validity. Withdrawal of a bid during this period shall result in enforcement of the bidder's "Bid Securing Declaration" and imposition of other sanctions.
- 35. The Contract shall be awarded to the successful bidder to provide the aforesaid service under certain conditions which are stipulated hereinafter and in the terms and conditions of the Contract,
- 36. Each and every page of the bid must be signed by the bidder himself if the bidder is a proprietorship firm and in case of a partnership firm, by a partner. However, in the case of a partnership firm, there must be an authorization from all the partners to this effect that the person signing the bid as a partner has been authorized to sign the bid document on behalf of all partners.
- 37. If the bidder is a Company, there must be a valid authorization from the competent authority/ Board resolution, authorizing the person to sign and file the bid on behalf of the Company.
- 38. Any bid not signed on each page and without authorization shall be rejected.
- 39. The bidder is not allowed to make additions/alterations in the tender document. Such additions and alterations shall be at the bidders' own risk and shall render the bid liable to be rejected.

#### Eligibility/Qualifying Criteria:

- 1. The bidder must be registered with appropriate Govt. Department for providing motor vehicles on contract.
- 2. The bidder must have experience of at least last two consecutive years for providing Buses and Cars to a Government/Semi Government/Autonomous body/any reputed organization etc. The information in the format provided in the Tender Document is to be attached to Technical Bid.
- 3. The bidder must have minimum annual turnover of 5 lakh in any of the last three Financial Years. The copies of Balance Sheets for the financial years 2018-19, 2019-20 and 2020-21 duly signed by a Chartered Accountant shall have to be attached with the Technical Bid.

- 4. The bidder shall have to attach copies of Income Tax Returns for the last two years (2018-19 and 2019-20) duly attested by a Chartered Accountant to the Technical Bid.
- 5. The bidder shall have to furnish a Declaration to the effect that he/she has not ever been banned /blacklisted by any of the Central/State Govt. Departments/ Offices/ Autonomous Bodies or by any Non-Govt. Organization in the format provided in the Tender Document.
- 6. The bidder shall have to attach the "Bid Securing Declaration" in the format provided in the Tender Document to the Technical Bid.
- 7. The bidder must be registered with the GST regime and Income Tax Department and shall have to attach a copy of the GST Registration Certificate and a copy of the PAN Card to the Technical Bid.
- 8. The condition of prior turnover and experience is relaxed in the case of MSMEs and Start-ups subject to meeting of the other terms and conditions set by the institute in the Tender Document.
- 9. The bidder must have an Office at Srinagar/Budgam for better coordination, proper supervision, reasonable access in case of day-to-day requirement. In case the bidder does not have an office in Srinagar/Budgam, the bidder must give an undertaking that the office shall be established in Srinagar/Budgam within one month of allotment of the Contract.

#### Documents to be attached with the Bid:

The bidder must attach self-attested copies of the following documents along with the technical bid. Any bid not accompanied by such documents shall be liable to be rejected.

- a) Copy of valid Certificate of Registration.
- b) Copy of PAN Card.
- c) Income Tax Return for the last two years (A.Y.2018-19 & 2019-20).
- d) GST Registration Certificate.
- e) EPF Registration Certificate/Code No., if required.
- f) ESIC Registration Certificate/Code No., if required.
- g) Other Statutory Registrations/Licenses, if any.
- h) Copies of Audited Balance Sheets and Profit and Loss accounts along with gross turnover for the last three financial years 2018-19, 2019-20 & 2020-21
- i) Authority letter/Resolution in favor of the person signing the bid on behalf of the firm submitting the tender document.
- j) Bid Securing Declaration.
- k) Address proof of the Registered Office and Branch Office of Transporter/Firm/ Agency/Company.
- l) Aadhar Card of individual applicant/person signing the bid.
- m) Other documents as may be deemed necessary and as is required under any other provision of the bid document and not mentioned herein above.

#### **General Conditions of Contract:**

- 1. The resultant contract shall be interpreted under Indian laws.
- 2. In the case of any dispute arising out of the contract the same shall be resolved mutually by the parties concerned failing which by arbitration by sole Arbitrator to be appointed by the Director, NIFT Srinagar at Srinagar under the provisions of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996 and the rules framed thereunder. The Arbitrator so appointed shall not have jurisdiction to pass any interim awards. The language of arbitration shall be English. The place of arbitration shall be at Srinagar/Budgam (J&K).
- 3. The successful bidder shall have to deposit the Performance Security of 3% of the contract value in the shape of Demand Draft/Bankers Cheque/Fixed Term Deposit/Bank Guarantee in the name of the Director, NIFT, Srinagar up to the period of 60 days after completion of the contractual obligations.
- 4. The bidder whose bid is accepted, shall submit a ₹100/- non-judicial stamp paper at its own cost for preparing the contract agreement to be signed by the both the parties. The terms and conditions of this Tender Notice/Document shall form integral part of the contract and remain binding till satisfactory completion of the contract. The original agreement shall remain with the Institute while a photocopy thereof can be had by the transporter/firm/ company/agency if they so wish.
- 5. Notwithstanding the punitive provisions contained in the contract for breach of contract the contractor shall not be liable for any such sanction so long as the failure of the contractor in fulfilling its obligations under the contract is the result of an event covered under *Force Majeure* clause.
- 6. The successful bidder shall be liable to comply with all laws, regulations, rules, and directions of any statutory and constitutional authority for the time being in force in the Union Territory of Jammu & Kashmir.

- 7. The duration of contract shall be for one year initially from the date of signing the contract. The first three months being the probation period and on satisfactory completion of the probation period, the contract shall automatically be extended for rest of the year i.e., nine months. Further, the contract shall be annually extended (one year at a time) for two more years based on the satisfactory performance. Under no circumstances the contract shall be extended for more than three years.
- 8. The successful bidder shall be liable to pay all taxes, levies and other legal payables that may be applied by the Government, Local Authorities, and other competent forums from time to time.
- 9. The successful bidder shall carry out the work in accordance with this contract and the directives of the institute.
- 10. The successful bidder shall not employ any worker who is below 18 years of age.
- 11. All the workers shall invariably carry their ID Cards (to be provided to them by the successful bidder at his/her own cost) and shall be produced to the security personnel and other authorities of the institute, whenever asked for.
- 12. The successful bidder shall be absolutely responsible for strict adherence to discipline and good conduct by its workers.
- 13. The successful bidder shall be bound to remove any such worker and disallow him/her from entering the Institute premises that the Institute does not deem appropriate to continue within the Institute premises for administrative or any other reasons.
- 14. The successful bidder shall have absolute authority in regard to the engagement, disengagement, suspension, termination, retrenchment, dismissal, discharge etc. of its workforce and for all disciplinary actions against them. The successful bidder shall be responsible for maintaining master and servant relationship with its workforce and the Institute shall have no concern whatsoever with all the above-mentioned matters.
- 15. The successful bidder shall be absolutely liable in regard to any dispute or other matters concerning its workforce which are initiated in any forum or court of law and shall further be liable to meet and discharge all the liabilities that may arise on account of its relationship with its workers from the decisions of any court including all liabilities as are thrust upon by virtue of the provisions of any labour law in force at that time besides other statutory liabilities.
- 16. The successful bidder shall be liable to make good the loss to the property of the Institute, if any, that may be caused on account of any irresponsible action on the part of its workers, whether deliberate or otherwise.
- 17. The successful bidder shall be liable to ensure compliance of all enactments, rules, regulations and of other authorities besides the instructions of the Institute that may be in force from time to time including all the Labour Laws, Employees' Compensation, Minimum Wages, etc.
- 18. The successful bidder shall be liable to make good the losses in financial terms that it may be subjected to from time to time on account of any lapse on its part or arising out of statutory liabilities including the dues towards the workers in regard to wages, court awards, compensation which are caused to be paid/borne by the Institute due to the successful bidder's failure. The successful bidder shall pay all such dues to the Institute within fifteen days from the receipt of letter issued by the Institute in this behalf failing which; the same shall be recovered/realized from the successful bidder's performance security.
- 19. The Institute shall be absolutely immune and deemed indemnified in all matters, claims, liabilities, and legal consequences which relates to compliance of statutory provisions, rules and regulations, orders, directions of Govt. authorities/Courts/Forum etc. as well as the provisions of the contract agreement. In case the Institute is put to bear any liability for lapses on the part of the successful bidder or for his/her illegal actions, the Institute shall have the right to realize from the successful bidder all dues if those are in financial terms, and on other matters, in appropriate manner as it deems appropriate including adopting legal recourse.
- 20. The successful bidder shall comply with all guidelines/instructions issued by the institute besides following other orders/instructions of security authorities concerning the security/ safety issues and Institute's discipline.
- 21. The successful bidder shall ensure that he/she and his/her employees do not adversely affect the peaceful and congenial atmosphere of the Institute.
- 22. The successful bidder shall be liable to be penalized or fined in cases of default and negligence on his/her part or for complaints in the manner provided hereafter at the discretion of the Institute. Such penalty or fine shall be imposed according to the nature of the complaint. The first penalty in such case would be to the tune of ₹5000/-, ₹10000/-, the second time and ₹20000/- the third time or such higher penalty as deemed fit by the Institute. However, if the complaints of identical nature persist, the Institute would be at liberty to terminate the contract forthwith without giving any more notices.

- 23. Either party shall be able to terminate the contract by giving 30 days' notice to the other party without assigning any reasons whatsoever.
- 24. The successful bidder shall not assign the contract or any part thereof or any benefit or interest thereon or there-under without written consent of the Institute. The whole of the charge included in the contract shall be executed by the successful bidder or his/her authorized competent representative(s). The successful bidder shall be responsible for the acts, defaults, and neglects of its workforce fully being deemed as those of the successful bidder itself.
- 25. If at any time, it is detected that the contract has been sublet or assigned to any other entity by the successful bidder, the Institute shall be at liberty to terminate the contract forthwith without giving any time to the successful bidder.
- 26. Several documents forming the contract are to be taken mutually explanatory to one another and in case of any ambiguities or discrepancies, the interpretations of the same shall be communicated in writing by the Institute through its Competent Authority to the successful bidder along with the directions, if any, and the same shall be deemed to be final and binding and shall not be open to question in any court of law.
- 27. The vehicles are required as per the necessity from the date of issue of work order. The contracted vehicles are to be used by the officials and students of the NIFT, Srinagar.
- 28. The NIFT will count/take into consideration Kilometer from the Institute to Institute, not from the garage, contractor's office/parking place, for working out daily/monthly kms running and payment of bills.
- 29. The Logbook is to be maintained by the Contractor as per the Proforma to be specified by the institute.
- 30. In case of loss/damage by any means of the said Logbook or duty slip; the decision of the Competent Authority of the institute regarding payment shall be full and final.
- 31. While on duty the driver must keep proper and up-to-date documents of the vehicle and valid driving license.
- 32. No compromise will be made by the institute towards the punctualities, cleanliness, obedience, promptness, behavior, etc. Discourteous and careless driver(s) shall have to be replaced on demand.
- 33. The Contractor shall be solely responsible for all actions including payment of any type of claims arising out of infringement of rules, regulations, accidents or any other unforeseen incidents/happenings. In case any vehicle is withdrawn for maintenance/repairs/ breakdown, a substitute vehicle of same or of the higher make/model shall have to be provided forthwith. In case of emergency i.e., breakdown enroute, Contractor shall have to arrange for an alternative vehicle for escorting persons and materials, failing which vehicle shall be hired from any other source/sources at the risk and cost of the Contractor.
- 34. The Competent authority of the Institute to whom the vehicle shall essentially report is empowered to return the vehicle if he feels that it is not worth taking and no payment shall be made for the day.
- 35. The Contractor must have an office in Srinagar/Budgam with a supervisor who will be available round the clock (24X7) on his fixed/mobile telephone so as to respond to the calls for services for easy coordination. Mobile/Telephone Number must be specified in the Bid. All official cabs/vehicles bookings shall be through email/ or through telephonic call, in case of emergency.
- 36. The liability arising out of accident of the hired vehicle under the relevant sections of "Motor Vehicle Act" and IPC or any other law for the time being in force shall solely be on the Contractor. The hired vehicle shall be deemed to be under the responsibility of the Contractor and for the drivers, the contractor shall be the Principal Employer. The hiring authority has no responsibility whatsoever and shall not entertain any claim in any regard under the provision of the law.
- 37. The engagement and employment of drivers and payment of wages to them as per existing provisions of various labour laws or regulations shall be the responsibility of the Contractor and any provision not adhered to by the Contractor shall be deemed to be breach of this Contract.
- 38. The successful bidder must ensure that the driver being provided has a valid driving license in his name with not less than two (02) years of driving experience. The drivers should be in uniform/well-mannered and courteous and should always carry original RC/TC book and license along with valid insurance, pollution under control certificate.
- 39. Fitness certificate of the vehicle and any other certificate or document as required under law and a mobile phone with incoming and outgoing facility with them while being on duty as it will enable the institute to contact the driver at any time and the number should be shared with the institute. No extra charges shall be paid by NIFT for the same. The essential spares are to be stored in the vehicle for trouble free driving. NIFT shall have no direct or indirect liability arising out of negligent, rash and impetuous driving which is an offence under relevant section of IPC and any loss caused to the NIFT shall have to be suitably compensated

by the Contractor. The agency shall submit valid Police Verification Report (PVR) for all drivers deployed at the NIFT.

- 40. The vehicles and drivers once offered shall not be ordinarily changed and, in any case, not without prior written permission/consent of the NIFT authority. In case the Car/Bus driver is changed without prior consent/intimation of/to the NIFT, 25% of the charges payable for the day would be deducted on each such occasion.
- 41. Only Vehicles having valid Registration, insurance, fitness certificate shall be supplied to NIFT and taxes etc. due on such vehicles shall be liability of the Contractor. The cost of lubricants, repairs, maintenance, taxes, insurance, etc. will be the Contractor's liability.
- 42. NIFT will reimburse toll tax, parking charges, wherever incurred on submission of original receipts. The driver should be provided with petty cash by the Contractor for the purpose. The driver should possess valid driving license to drive the assigned vehicle.
- 43. Regular checking of meter by the designated authority may be done by the Contractor, and requisite certificate may be shown to the NIFT as and when demanded. The vehicles deployed during the Contractual period at any point of time should be well maintained and in perfect running condition as per NIFT's requirement with proper pollution check and valid pollution certificate.
- 44. The maintenance cost, charges of fuel (petrol/diesel/), road tax, permit fee, passenger Tax, Border Tax, challans, salary of the driver, the overtime and mobile phone charges of driver etc. are the responsibility of the Contractor and should be paid by the Contractor. The salary of the drivers has to be paid by the Agency

before 10<sup>th of</sup> every month as skilled workers as per the Minimum wages Act. The proof of Salary paid to the drivers every month as per the Minimum Wages Act & Labour Laws invoked time to time by the Central Govt. should be submitted to the NIFT every month with the support of Bank transaction statement showing salary credited to drivers' account. EPF and ESIC account must be opened for all the drivers/workers as per the guidelines of the Labour Laws. The minimum wages for skilled workers need to be revised as per the Labour Laws of the Central Govt from time to time. The Contractor shall be responsible for compliance of relevant labour laws or any other act to the extent they are applicable to his establishment/workmen. Noncompliance of any law in force by the Contractor shall be deemed to be breach of this agreement and shall entail the right to the institute to determine the contract without any further notice to the Contractor.

- 45. The vehicles provided to the institute must be fully and comprehensively insured covering the risk to the driver and all passengers also.
- 46. The Vehicle sent to NIFT on requisition must have all relevant documents like Registration Certificate/fitness certificate/Driving license/Insurance/Road Tax Receipt/ Permit fee Receipt/ pollution certificates/ Passenger Tax/ Border Tax, etc. The vehicle should be licensed and shall conform to all Govt. rules and regulation being in force from time to time including those of emission. The NIFT shall have the right to verify the original documents pertaining to Vehicles and Drivers as and when required.
- 47. If the vehicle does not report at the requisitioned time or is not found in good condition or without proper documents, the vehicle may be rejected and sent back. No payment shall be made on account of the vehicle so rejected.
- 48. No advance payment, in any case would be made.
- 49. The period of Contract for hiring Bus and Cars shall be initially for a period of one year from the date of signing the Contract subject to further 02 years extension (Total 03 year's maximum) on rendering satisfactory services on mutually acceptable terms & conditions and rates at the sole discretion of NIFT.
- 50. The lowest bidder shall make available the vehicles at the place, to be decided by the institute, for inspection. If the institute is satisfied with the condition of the vehicles, only then, the contract shall be awarded to the lowest bidder. If the lowest bidder is not able to provide vehicle(s) in good condition resulting in non-issue of contract award letter, action as per law shall be taken against the transporter/firm/company/agency.
- 51. The successful bidder shall provide, at his own cost, trained Drivers having valid Driving Licence and other employees with necessary tools, instruments, equipment etc., for the safe, effective and efficient discharge of the work contemplated in the Contract.
- 52. The successful bidder shall provide, at his own cost, all drivers/other staff with necessary identity cards/licence, which they shall display on their person to distinguish them from unauthorized persons. The successful bidder shall provide two (02) sets of proper uniform (including one pair of shoes) to each driver annually and they must report in uniform only.
- 53. The successful bidder shall be responsible for the proper and orderly conduct of his staff/workers while performing their duties as a part of this Contract and shall employ only such persons whose character has been verified by the Police.

- 54. The NIFT officials shall be at liberty to object to and require the successful bidder to remove forthwith any person employed by him, if in the opinion of NIFT's officials, such person is disobedient/insubordinate or misconducts himself, is incompetent or negligent in the proper discharge of his duties or whose employment is otherwise considered undesirable and such person shall not be again deployed by him without the written permission of NIFT authorities. Any person so removed shall be replaced by a competent substitute. The decision of Competent Authority shall be final and shall not be questioned on any grounds whatsoever.
- 55. Insurance of all the Drivers/ Helpers and the vehicles will be the responsibility of the successful bidder.
- 56. NIFT shall in no way be responsible for any default about any statutory obligations and the successful bidder shall indemnify NIFT in case of any loss or damage or liability, which may arise on account of action of the successful bidder or any of its personnel.
- 57. On submission of Tender, it shall be presumed that the bidder agrees with each condition of the Tender and in no manner, any waiver shall be presumed, unless, otherwise conveyed by the Institute in writing. The liability of the bidder is not limited to the extent of terms and conditions stipulated under this document but shall extend to all other instructions issued by the Institute from time to time, which shall be considered as terms and conditions of the contract and its violation shall bear same consequences, as shall result in violation of terms and conditions enumerated herein.
- 58. For all purposes, the successful bidder shall be the Principal Employer of the workmen including drivers, conductors, cleaners, helpers, etc. so deployed by him in pursuance of this Contract.
- 59. The successful bidder shall undertake that any act of omission or commission including theft, by its staff will be his sole responsibility and further that he would compensate the Institute immediately, of any loss or damage or theft occurring on account of his staff individually or collectively. He shall also ensure to depute only such drivers on duty at NIFT who are diligent and behave politely and courteously.
- 60. The driver and conductor so deployed by the successful bidder should possess necessary qualification and licenses as per Motor Vehicle Rules in force and should not have any past bad record.
- 61. The bidder shall provide minimum of 03 Buses of model not older than year 2014 and 07 Cars (AC) not older than year 2012 registered as commercial vehicles. The Vehicles must be in excellent working condition. The deployed cars should be equipped with the following:
  - a) Clean good quality seat covers.
  - b) Floor carpet.
  - c) Rubber foot mats.
  - d) Reading light at the rear.
  - e) Fire extinguisher (spray).
  - f) Car perfume.
  - g) Tissue box.
  - h) Umbrella during monsoon.
  - i) Mobile charger.
- 62. The vehicles to be provided by the service provider should always be particularly in good condition, maintained well, cleaned thoroughly (internally and externally), dickey kept clear off dust, rubbish, oil and any personal belongings of the driver. Hygienic condition must be maintained inside the vehicles at all times and shall be subject to periodic inspection by the NIFT.
- 63. The service provider shall comply with the provisions of Labour and other Laws (Minimum Wages Act, EPF, ESIC, etc.). The employees of the service provider shall not be deemed to be the employees of the NIFT.
- 64. The service provider shall not transfer or assign or sub-let any part of the service once agreed or any share or interest here in any manner or degree directly or indirectly to any person, firm or corporation, whatsoever.
- 65. The vehicles deployed for duty at NIFT shall at no point of time carry any person other than personnel authorized by the institute. The vehicle once reported for duty shall not leave premises of NIFT without prior permission of the concerned officer. Fuel etc. should be filled in advance and vehicle shall not leave for any repairs or for other jobs without prior replacement.
- 66. In case of any accident resulting in loss or damage to property or life, the sole responsibility for any legal or financial implication would vest solely with the successful bidder. NIFT shall have no liability whatsoever. There shall be no relationship between the successful bidder's employees with the NIFT. The Drivers, Conductors, Helpers, etc. employed by the successful bidder shall be directly supervised and controlled by him and shall have no relation whatsoever with the institute. NIFT shall have no power to control or supervise such workmen or to take any action against them except as permissible under law. Such workmen

shall also not have any claim against NIFT for service or regularization of services by virtue of being deployed at NIFT against any temporary or permanent posts at NIFT. For all purposes, the successful bidder shall be their Principal Employer.

- 67. The successful bidder shall obtain adequate insurance policy/policies in respect of his workmen to be engaged for the work, towards meeting the liability of compensation arising out of death/injury/disablement at work etc.
- 68. The successful bidder shall be responsible for the safety and security of the Personnel deployed for duty at the institute.
- 69. NIFT shall in no way be responsible for any default with regard to any statutory obligations and the successful bidder shall indemnify NIFT in case of any loss or damage or liability, which may arise on account of action of the successful bidder or any of his workforce.
- 70. The Firm/Company shall be paid as per the finally agreed price, on monthly basis. Monthly Bills (in duplicate) for the bonafide use of vehicles are to be submitted by the service provider during the first fortnight of the subsequent month to the NIFT.
- 71. All supporting documents viz., Duty Slips etc. must be submitted along with the Bills for scrutiny.
- 72. All payments shall be made subject to certification by the respective user/or designated Officer.
- 73. While claiming payment the service provider must certify on the bill that the payment being claimed is strictly within the terms of the contract and all the obligations on his part for claiming this payment have been fulfilled as required under the Contract.
- 74. Deductions of taxes at source from the payment(s) of the service provider shall be made as per the existing law in force during the currency of the Contract.
- 75. The payment shall be made in Indian currency through a more transparent Electronic Payment System like NEFT/RTGS within 15 days of receipt of Bills complete in all respects.
- 76. The statutory variations in duties and taxes shall be borne by the Procuring Entity. As a general policy the statutory variations in such duties and taxes shall be allowed during the period from the date of the tender to the date of acceptance i.e., placement of Contract and during the original/refixed period of the Contract so that both the service provider and Procuring Entity are equally compensated for rise or fall in the rates of statutory taxes.

#### Submission Formats:

- 1. Technical Bid
- 2. Financial/Price Bid
- 3. Bid Securing Declaration
- 4. Declarations
- 5. Bank Mandate Form

#### TECHNICAL BID [For hiring Bus and Cars by NIFT Srinagar]

S. No.	The following information/document are required	Description
1.	Name of the Agency / Firm / Company etc.:	
2.	Name, Address, Designation, Telephone Nos. of the Proprietor/Owner/Partner etc. Phone No, Fax No, e- mailid:	
3.	Nature of Ownership/Legal Status: (Sole Proprietor, Partnership firm, limited Company, Corporation, etc. attach proof)	
4.	Registration of EPF and ESI for employees of the company/firm, if required (duly self-attested photocopy ofcertificates to be submitted).	
5.	PAN. and Goods & Service Tax Identification No. (GSTIN)of the Agency/Firm/Company etc. (duly self-attested photocopy of certificates to be submitted)	
6.	Turnover certificate duly audited by the Chartered Accountant (CA) and Income Tax Return for the last two years (copy to be enclosed)	
7.	The Agency should provide undertaking on its letter head that it has not been blacklisted by any Government department/ Agency in the last 5 Years.	
8.	Whether having 02 years' experience in providing vehicle topreferably to Government/Semi- Government/Autonomous Bodies/ Reputed National Level Institutions/Hospitals.: (duly self- attested photocopy of certificate to be submitted)	
9.	Acceptance of terms & conditions containing the bid documents, the bidder/authorized signatory will have tosign (with necessary authority letter) & put stamp of his firm/company on each page of the bid document.	

Place:

Date:

Signature of the bidder

Name of the bidder

- **1.** Name of the Agency / Firm / Company
- **2.** Address of the Agency / Firm / Company:

## Rates for Non-AC Bus (on Monthly Basis)

Particulars	32+D Seater (Non-AC) (Rate Quoted Exclusive of GST)
(a) 1200 km per month for 390 hours per Month (13 hours per day, seven days a week, 08.00 am to 09.00 pm)	Rs
(b) For every extra Kilometers beyond 1200 km	Rs per Km
(c) For every extra hour beyond 390 Hours	Rsper hour

#### Note:

- 1. Weekly 7 days working
- 2. In case of any breakdown enroute, alternative arrangement shall be made by the agency forthwith.

Important Note:If the monthly run is less than the standard 1200 Kms/390 hours for bus, the balance<br/>Kms/hours shall be adjusted in next three months.

#### DECLARATION

I/We hereby declare that the particulars given above are correct and complete to the best of my knowledge and belief.

Signature of the Authorized Signatory

- 1. Name of the Agency / Firm / Company \_\_\_\_\_
- 2. Address of the Agency / Firm / Company \_\_\_\_\_

	0 0	/ r
Rates for AC Cars	s (on monthly Ba	asis)

Particulars	Type of Vehicle
	Toyota Etios/Swift Dzire/Maruti Ciaz/or any vehicle equivalent or of higher version <b>01 No.</b> 2000 km per month for 360 hours per month (12 hours per day, seven days a week, 08:00 am to 08:00 pm)
(a) Monthly Charges	Rs (Rate Quoted Exclusive of GST)
(b) For every extra Kilometer	Rsper Km <b>(Rate Quoted Exclusive of GST)</b>
(c) For every extra hour beyond 360 hours	Rs per hour (Rate Quoted Exclusive of GST)
(d) Outstation night halt charges	Rsper Night (Rate Quoted Exclusive of GST)

#### <u>Note:</u>

- 1. Weekly 7 days working
- 2. In case of any breakdown enroute, alternative arrangement shall be made by the agency forthwith.

Important Note: If the monthly run is less than the standard 2000 Kms/360 hours, the balance Kms/hours shall be adjusted in next three months.

#### DECLARATION

I/We hereby declare that the particulars given above are correct and complete to the best of my knowledge and belief.

Signature of the Authorized Signatory

# Rates for AC Traveller/Minibus/Bus (on Daily Basis) outside city limits and within the UT of Jammu and Kashmir (Including permit charges, if any)

- **1.** Name of the agency / firm / Company
- **2.** Address of the agency / firm / Company

Particulars	16+D seater	24+D seater	32+D seater	40+D seater
Rates for first 60 km for 6 working hours on any day	Rs	Rs	Rs	Rs
Rates for first 100 km for 10 working hours on any day	Rs	Rs	Rs	Rs
Rates for first 250 km for 12 working hours on any day	Rs	Rs	Rs	Rs
Extra charges per kilometer	Rsper Km	Rs per Km	Rs per Km	Rsper Km
Extra charges per Hour	Rsper Hour	Rs per Hour	Rs per Hour	Rsper Hour
Outstation night halt charges	RsPer night	Rs Per night	RsPer night	RsPer night

:

:

#### Note:

- 1. Rates will be all inclusive of driver's wages, POL charges, etc. In the case of higher capacity buses, the rates shall be inclusive of wages of the Helper as well. However, toll tax or parking charges etc. shall be reimbursed separately against production of valid documents.
- 2. Rate Quoted above shall be exclusive of GST.
- 3. One helper each is to be provided with **32+D**, **40+D**, **50+D** Seater Buses.
- 4. In case of breakdown of any motor vehicle on the way, alternative arrangement shall have to be made by the agency immediately.

#### DECLARATION

I/We hereby declare that the particulars given above are correct and complete to the best of my knowledge and belief.

Signature of the Authorized Signatory

#### Rates for AC Cars (on Daily Basis)

- **1.** Name of the agency / firm / Company
- **2.** Address of the agency / firm / Company

Particulars	Suzuki Swift Dzire/ Toyota Etios/Hyundai Xcent/Honda Amaze / Ford Figo Aspire /Ford Eco Sport or any Sedan vehicle equivalent or of higher version		Toyota Innova/Mahindra XUV 500/Scorpio or equivalent or of higher version
Rates for first 60 km for 5 working hours on any day	Rs	Rs	Rs
Rates for first 150 km for 8 working hours on any day	Rs	Rs	Rs
Rates for first 250 km for 12 working hours on any day	Rs	Rs	Rs
Extra charges per kilometer	Rs per Km	Rs per Km	Rsper Km
Extra charges per Hours	Rs per Hour	Rs per Hour	Rsper Hour
Outstation night halt charges	RsPer night	RsPer night	RsPer night

Note:

- 1. Rates will be all inclusive of driver's wages, POL charges, etc. However, toll tax or parking charges, etc. shall be reimbursed separately on production of valid documents.
- 2. In case of breakdown of any motor vehicle on the way alternative arrangement shall have to be made by the agency forthwith.
- 3. Rate Quoted above shall be Exclusive of GST

#### DECLARATION

I/We hereby declare that the particulars given above are correct and complete to the best of my knowledge and belief.

Signature of the Authorized Signatory With seal of the company

#### MANDATE FORM FOR ELECTRONIC FUND TRANSFER/RTGS TRANSFER

No. Date:

То

#### NIFT, Srinagar

Sub: Authorization for release of payment / dues from NIFT, Srinagar through Electronic Fund Transfer/RTGS Transfer.

#### Name of the Agency/Firm/Company: 1.

- 2. Address of the Party: \_\_\_\_Pin Code\_\_\_\_ City\_\_\_ E-Mail ID Mob No: Permanent Account Number
- 3. Particulars of Bank:

Bank Name:	Branch Name:	
Branch City:	Branch Code:	
PIN Code:		
MICR No.:		

#### 4. Digit number appearing on the MICR Bank of the cheque supplied by the Bank, Please attach a Xerox copy of a cheque of your bank for ensuring accuracy of the bank name, branch name and code number)

IFS Code:(11-digit alpha numeric code)													
Account Type	Savii	Savings			Curre	ent			Cas	sh Ci	edi	t	 
Account Number:									•				

#### DECLARATION

I hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If any transaction is delayed and not effected for reasons of incomplete or incorrect information I shall not hold NIFT responsible. I also undertake to inform the NIFT Srinagar about any change in the particulars of my bank account to facilitate updating of records for the purpose of transferring the money through NEFT/RTGS. Place :

Date :

#### Signature & Seal of the Authorized Signatory of the Party

Certified that particulars furnished above are correct as per our records

Bankers Stamp:

Date:

#### Signature of the Authorized Official from the Bank

*N.B: Please fill in the information in CAPITAL LETTERS, computer typed; please TICK* wherever it is applicable.

## Details of vehicles (Buses and Cars) to be offered to NIFT Srinagar.

(Attach separate sheet duly signed. If required for more information)

Vehicle registration Number	Make of Vehicle	Manufacturing year of Vehicle

## **List of present and past clients in the following format** (Please use separate sheet duly signed, if required without changing the format).

S. No.	Name of the Organization with Complete Postal address	Name & Designation of the contact person with Tel/Mobile Nos., Email IDs.	Period for which the Contract is/was awarded	Name/Number of the passenger Vehicle deployed by your firm on site

Please attach client certificate/work orders/Performance certificates, etc. clearly giving period of the Contract.

# Turnover in the field of providing passenger/Tourist vehicles on hire charge basis during the last two years.

#### (Submit a certificate duly attested by Authorized Chartered Accountant or Income Tax Certificate or any of the following documents i.e., Profit and Loss Account, Balance Sheet or Income Tax Returns filed)

Financial Year	2018-19	2019-20
Annual Turnover (Rs. in Lakh)		

- 1. Number of employees (drivers/helpers/mechanics).
- 2. Audited Balance Sheet for the last three years. Annual turnover of the firm should notbe less than ₹ 500000/- (Rupees Five Lakh) during the last three financial years

#### **Declaration**

I/We hereby declare that the particulars given above are correct and complete to the best of my knowledge and belief.

(Signature of the authorized person) Name: Designation: Seal of the Firm / Agency / Company

#### **BID SECURING DECLARATION**

The Dir NIFT, F Srinaga	Rangreth
Ref:	Date
Sir,	
I/We	declare that:
1.	I/We understand that the "Bid Securing Declaration" is in lieu of the Earnest Money Deposit and is to secure the interests of the institute in all respects. It is mandatory to attach this declaration with the bid documents; and
2.	<ul><li>I/We accept to be suspended from being eligible to submit bids for contracts in the NIFT Srinagar for a period of three (03) years if,</li><li>a) I/We withdraw or modify the bid during the period of its validity.</li></ul>

- b) fail to sign the contract after award of contract.
- c) fail to submit the Performance Security before the deadline defined in the tender document.
- 3. I/We understand that this "Bid Securing Declaration" shall be null and void, if contract is not awarded to me/us upon issue of notification about the name of the successful bidder.
- 4. I/We also know that in the case of Joint Ventures, "Bid Securing Declaration" is to be in the name of the Joint Venture submitting the bid. If Joint Venture is not legally constituted at the time of bidding, this declaration shall be in the name of all partners contained in the Joint Venture agreement.

Signed today the	for and on behalf of M/s
Address	

Signature\_\_\_\_\_ Name\_\_\_\_\_

In the capacity of\_\_\_\_\_

Note: This declaration is to be signed by the authorised signatory only.

#### **DECLARATIONS**

- 1. The undersigned hereby solemnly affirms that I have completely read and understood this tender document and shall abide by the terms and conditions laid down herein. In case of breach of any of the clauses the bid shall be treated as null and void.
- 2. The undersigned hereby solemnly affirms that I/we have not ever been banned or blacklisted by any of the Central/State Govt, Departments/ Offices/ Autonomous Bodies or by any Non-Govt. Organization during the last five years.
- 3. The undersigned hereby solemnly affirms to abide by the rates quoted in the Financial/Price Bid.
- **4.** The undersigned hereby solemnly affirms to adhere to the provisions of the Code of Integrity for Public Procurement of Services.

Signature of the Bidder

Name of the bidder

Place: Date